जलागम प्रबन्धन विभाग

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका

2013-14

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

अनुक्रमणिका

क्र.सं.		विवरण	पृष्ठ सं0
1		**जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड**	
	1.1	पृष्ठ भूमि	03
	1.2	जलागम प्रबंध निदेशालय के उद्देश्य	04
	1.3	जलागम प्रबंध निदेशालय के प्रमुख कार्यक्रम	04
	1.4	जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा कियान्वित परियोजनायें	06
2		**जलागम प्रबंध निदेशालय की स्थापना**	
	2.1	जलागम प्रबन्ध निदेशालय का पुनर्गठन	11
	2.2	पुनर्गठित जलागम प्रबंध निदेशालय के उद्देश्य	11
	2.3	उत्तराखण्ड के जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण	12
	2.4	उत्तराखण्ड में जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अध्यावधिक स्थिति	13
	2.5	निदेशालय के अंतर्गत पदों का विवरण	14
	2.6	जलागम प्रबंध निदेशालय के वित्तीय संसाधनों का स्रोत	14
	2.7	मानक मदवार अनुमानित व्यय एवं प्रस्तावित बजट	15
3		**जलागम प्रबन्ध परियोजना अनुश्रवण विकास परिषद**	
	3.1	परिषद के वित्तीय संसाधन के श्रोत	16
	3.2	मानकमदवार अनुमानित ब्यय एवं प्रस्तावित बजट	17
4		**जलागम विकास परियोजनाओं हेतु समान मार्गदर्शी सिद्वान्त, 2008**	
	4.1	केन्द्र पोषित समेकित जलागम विकास कार्यक्रम	18
	4.2	आई0डब्लू0एम0पी0 की 18 वर्षीय योजना (2009–2027)	20
	4.3	प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट 2010–11	22
	4.4	प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट 2011–12	23
	4.5	प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट 2012–13	24
	4.6	परियोजना में अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय	25
	4.7	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के वित्तीय संसाधनों के स्रोत	25
	4.8	कार्यक्रम के मानक मदवार अनुमानित व्यय एवं प्रस्तावित बजट	26
5		**विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या)**	
	5.1	उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (संक्षिप्त परिचय)	27
	5.2	उप योजना जैफ	28

अनुक्रमणिका

क्र.सं.		विवरण	पृष्ठ सं0
		उद्देश्य	28
		योजना गतिविधियॉ	28
		अपेक्षित परिणाम	30
		जैफ उप योजना क्षेत्र	30
		जैफ उप योजना में वर्षवार निष्पादित कार्य	32
		जैफ उप योजना में वर्षवार व्यय	33
		जैफ उप योजना में प्रतिपूर्ति धनराशि	38
		योजना मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण	38
	5.3	विश्व बैक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–द्वितीय चरण	41
		परियोजना क्षेत्र	41
		परियोजना लागत एवं वित्त पोषण	42
		परियोजना उद्देश्य	42
		परियोजना घटक	43
		परियोजना की प्रमुख विशेषतायें	43
		योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्रस्तावित कार्य	43
		परियोजना समितियॉ	45
	5.4	वित्तीय संसाधन के स्रोत	45
	5.5	मानक मदवार वास्तविक व्यय एवं बजट प्राविधान	46
	5.6	परियोजना प्रबन्धन एवं पदों का विवरण	47
6		**अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना**	
	6.1	परियोजना क्षेत्र	51
	6.2	परियोजना उद्देश्य	52
	6.3	परियोजना घटक	52
	6.4	परियोजना लागत	53
	6.5	वित्तीय संसाधन एवं श्रोत	53
	6.6	मानक मदवार बजट प्राविधान, अनुमानित व्यय 2013–14 एवं प्रस्तावित बजट अनुमान 2014–15	54
	6.7	परियोजना प्रबन्धन एवं पदों का विवरण	55
7		**वार्षिक योजना 2014–15**	**57**
8		**गठित समितियॉ**	**62**

1 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड

1.1 पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड एक जैवीय विविधतायुक्त तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां के अधिकतर क्षेत्रों में भूमि व मिट्‌टी पथरीली तथा भू–कटाव से प्रभावित है। मनुष्य तथा पशुओं के बढ़ते जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन, त्रुटिपूर्ण भू–उपयोग विधियाँ अपनाने, उपयुक्त प्रबंध तकनीक के अभाव तथा सामूहिक परिसम्पत्तियों का प्रबंधन करने वाली पारम्परिक संस्थाओं के विघटन के कारण हमारी जीवनदायिनी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों का ह्रास हुआ है। इसके फलस्वरूप समस्त पारिस्थितिकीय तन्त्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः इस पर्वतीय भू–भाग के वैज्ञानिक नियोजन तथा समेकित प्रबन्धन की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

माह अगस्त 1978 में बाढ़ की विभीषिका के पश्चात् इसके कारणों के अध्ययन व रोकथाम के उपायों हेतु भारत सरकार द्वारा गंगा यमुना बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया गया। कार्यकारी दल ने अपनी संस्तुति रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। केन्द्रीय कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 1979 में ऊपरी गंगा बेसिन की प्रमुख नदियों के जलागम क्षेत्रों के उपचार का निर्णय लिया और तद्नुसार वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर 1981 में उक्त क्षेत्र के उपचार हेतु Overall Development Plan **"सम्पूर्ण विकास की योजना"** तैयार की गयी।

मार्च 1982 में तत्कालीन उत्तर–प्रदेश शासन द्वारा "ओवरऑल डेवलेपमेंट प्लान" को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास की विकट समस्याओं पर रोक लगाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को समेकित रूप से एक प्रशासकीय अथॉरिटी के अन्तर्गत 'मल्टी डिसीप्लिनरी फोर्स' के माध्यम से जलागम क्षेत्र के आधार पर कराये जाने के लिये **जलागम प्रबंध निदेशालय** की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से शनैः शनैः सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का उपचार सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित था। इसके अन्तर्गत पर्यावरणीय संरक्षण एवं

विकास हेतु वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, औद्यानिकी, चारागाह विकास, अच्छी नस्ल के उच्च उत्पादकता वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि, कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतशील प्रजातियों के बीजों एवं उर्वरकों का वितरण, लघु सिंचाई एवं लघु अभियांत्रिकी संरचनाओं आदि के निर्माण से संबंधित कार्यों के समेकित रूप से सफल संचालन हेतु राज्य, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय/इकाईयां स्वीकृत की गईं।

1.2 जलागम प्रबन्ध निदेशालय के उद्देश्य

- प्रदेश के समस्त पर्वतीय जिलों के अनुपचारित क्षेत्र का जलागम पद्धति से उपचार करना।
- स्थानीय समुदाय व संस्थाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और विकास करना।
- उन्नत कृषि एवं **कृषि विविधीकरण** द्वारा ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग को जलागम परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहभागी बनाकर उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- पशु प्रबन्धन में सुधार कर, चारे की उपलब्धता में वृद्धि तथा **जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं जल संभरण** द्वारा ग्रामीण महिलाओं के कार्य बोझ में कमी लाना।
- सामुदायिक उपयोग के संसाधनों के रखरखाव हेतु चक्रीय कोष (**Revolving Fund**) विकसित करना, तथा स्वयं सहायता समूहों (**Self Help Groups**) का गठन।
- आय सृजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करना।

1.3 जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख कार्यक्रम

1.3.1 वानिकी कार्यक्रम:– चारे की उपलब्धता के उद्देश्य से ग्रामों के समीपवर्ती क्षेत्रों में चारा प्रजातियों के पौधों का रोपण, ईधन की उपलब्धता हेतु समीपवर्ती वन क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव को रोकने के लिये ईधन प्रजातियों के पौधों का रोपण, तथा अवनत वनों के सघनीकरण हेतु वृक्षारोपण कार्य किये जाते हैं।

1.3.2 **भूमि संरक्षण एवं नदी नाला नियंत्रणः–** बरसाती नदियों तथा छोटे–छोटे नालों से ग्रामों का समीपवर्ती क्षेत्र विशेषकर कृषि भूमि भू–स्खलन से प्रभावित है। इन नालों का उपचार एवं नियंत्रण करने हेतु वानस्पतिक अवरोधक, ड्राई स्टोन चैक डैम तथा क्रेट वायर चैक डैम आदि का निर्माण किया जाता है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने हेतु साइड वाल, तटबंध आदि बनाकर कृषि भूमि की सुरक्षा के कार्य किये जाते हैं।

1.3.3 **वाटर हार्वेस्टिंग (जल संभरण) तथा लघु सिंचाईः–** सिंचाई तथा मछली पालन को बढावा देने के उद्देश्य से तालाब का निर्माण व मरम्मत, वर्षा जल के संग्रहण से सिंचन क्षमता में वृद्धि करने हेतु सिंचाई टैंक का निर्माण व चाल खाल जीर्णोद्धार, सिंचाई दक्षता बढाने के लिये सीमेंट/कंक्रीट की पक्की सिंचाई गूलों का निर्माण व सिंचाई के लिये पानी को पम्प करने के लिये डीजल इंजिन का वितरण किया जाता है।

1.3.4 **औद्यानिकीः–** रिक्त, ढलुवा भूमि को उपयोग मे लाने व कृषकों की आय में वृद्धि हेतु नये उद्यानों की स्थापना, कृषकों के घरों के नजदीक घरवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार पौधों का रोपण, सब्जी–भाजी के उत्पादन में वृद्धि तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उन्नत प्रजाति के सब्जी–भाजी बीज मिनीकिट का वितरण व प्रदर्शन करने के साथ–साथ पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार भी किया जाता है।

1.3.5 **कृषि कार्यक्रम–** उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्नत प्रजाति के बीजों तथा नई कृषि तकनीक से होने वाले लाभों को प्रदर्शित करने के लिये उन्नत कृषि बीज मिनीकिटों का वितरण व कृषि क्षेत्रो में प्रदर्शन किया जाता है। भूमि कटाव एवं मृदा के ह्रास को रोकने के लिये कृषि टैरेस की मरम्मत भी इस कार्यक्रम के अर्न्तगत की जाती है।

1.3.6 **कृषि उत्पादन का विपणनः–** परियोजना द्वारा ग्राम स्तर पर कृषक समूह गठित कर, क्षेत्रीय स्तर पर कृषक समूहों के महासंघों का गठन किया जाता है। इन समूह एवं महासंघों के माध्यम से कृषि उत्पादों का विपणन किया जाता है। इस हेतु कृषि विपणन के क्षेत्र में दक्ष सहयोगी संस्थाओं की सेवायें ली जाती हैं।

1.3.7 **पशुपालन कार्यक्रमः–** दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु नस्ल सुधार के लिये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना व प्रजनन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु अनावश्यक तथा छुट्टा सांडों का बधियाकरण, पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्नत चारा बीज मिनीकिट का वितरण किया जाता है। उन्नत नस्ल के पशुओं के लिये कृषकों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से समय–समय पर पशु प्रदर्शनियों का

आयोजन किया जाता है। पशुओं को खूंटे पर बांधकर खिलाने की पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिये तथा चारे की बचत हेतु नांद का निर्माण भी किया जाता है। साथ ही चारे के सही उपयोग व बचत को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन के रूप मे चारा उपकरणों का वितरण भी किया जाता है।

1.3.8 **ग्रामीण मार्गों का सुदृढीकरणः–** ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोड़ने, यातायात तथा विपणन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण मार्गो का सुधार/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है।

1.3.9 **बायो गैस संयत्रः–** ईधन हेतु वनों पर निर्भरता को कम करने तथा महिलाओं को खाना पकाने में सुविधा देने के उद्देश्य से बायोगैस संयत्रों की स्थापना की जाती है।

1.3.10 **प्रशिक्षण, क्षमता विकास व सामुदायिक सहभागिताः–** ग्रामीण समुदाय विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, योजना के नियोजन, कार्यान्वयन व सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों, सम्बन्धित उपभोक्ता समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों को परियोजना के नियोजन, कार्यान्वयन तथा अभिलेखों के रख–रखाव आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण तथा क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाता है, जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके। राजस्व ग्राम स्तर पर समन्वय हेतु एक ग्रामीण मोटीवेटर रखी जाती है।

1.4 जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा क्रियान्वित परियोजनायें

1.4.1 पूर्ण परियोजनायें

◈ यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई0ई0सी0) द्वारा वित्त पोषित

दक्षिण भागीरथी फेज–I परियोजनाः

क्षेत्र – जनपद टिहरी गढ़वाल (6 MWS), 192 वर्ग किमी0

अवधि– वर्ष 1982 से वर्ष 1988 तक

व्यय – रू0 6.46 करोड़

कार्यान्वयन – रेरवा विभागों द्वारा।

◈ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमालयन जलागम प्रबंध परियेाजना

क्षेत्र – जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा (75 MWS), 2867 वर्ग किमी0

अवधि – वर्ष 1983 से वर्ष 1992 तक

व्यय – रू0 80.49 करोड़

कार्यान्वयन– वर्ष 1987–88 तक रेखा विभागों द्वारा। मध्यावधिक समीक्षा के उपरान्त 1988–89 से यूनीफाईड कमाण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

◈ ई0ई0सी0 द्वारा वित्त पोषित दक्षिण भागीरथी फेज–।।

क्षेत्र – जनपद टिहरी गढ़वाल(18 MWS), 356 वर्ग किमी0

अवधि – वर्ष 1988 से वर्ष 1996 तक

व्यय – रू0 19.56 करोड़

कार्यान्वयन – यूनीफाईड कमाण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

◈ ई0ई0सी0 द्वारा वित्त पोषित भीमताल परियोजना

क्षेत्र – जनपद नैनीताल (8 MWS), 216 वर्ग किमी0

अवधि – वर्ष 1991 से वर्ष 1998 तक

व्यय – रू0 12.68 करोड़

कार्यान्वयन – यूनीफाईड कमाण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा।

◈ ई0ई0सी0 द्वारा वित्त पोषित दून वैली समन्वित जलागम प्रबन्ध परियोजना

क्षेत्र–जनपद देहरादून, टिहरी गढवाल व नैनीताल (62MWS),2408 वर्ग कि0मी0

अवधि – वर्ष 1993 से वर्ष दिसम्बर 2001 तक

व्यय– रू0 102.12 करोड़

कार्यान्वयन – यूनीफाईड कमाण्ड के अन्तर्गत परियोजना प्रशासन द्वारा जिसमें ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की नीति अपनायी गयी तथा कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण महिलाऐं सहभागी रही हैं। परियोजना समाप्ति के उपरान्त सृजित परिसम्पतियों का ररव–रखाव भी ग्राम संसाधन प्रबन्ध समिति (गरिमा) द्वारा किया गया। इस हेतु परियोजना काल में लाभार्थियों द्वारा बनाये गये चक्रीय कोष (रिवाल्विंग फंड) में रु0 2.84 करोड़ जमा किये गये।

◈ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आई0 डब्ल्यू0 डी0 पी0 (हिल्स–।।) शिवालिक परियोजना

क्षेत्र – जनपद पौड़ी, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर (24 MWS), 1573 वर्ग किमी0

अवधि – सितम्बर, 1999 से सितम्बर, 2005 तक

लागत – कुल रू0 187.12 करोड़

कार्यान्वयन– परियोजना का नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण और मूल्यांकन ग्रामीणों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत किये गये कार्यो का भुगतान भी ग्रामीणों द्वारा बनाई गई **ग्राम संसाधन प्रबन्ध समितियों (गरिमा)** के माध्यम से किया गया। परियोजनाकर्मी ग्रामीणों के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते रहे, यही नहीं सामुदायिक व व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के कार्यान्वयन में ग्रामीणों ने लाभार्थी अंशदान भी दिया। इसके अतिरिक्त सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु लाभार्थियों द्वारा बनाये गये चक्रीय कोष में उनके द्वारा रू0 1.57 करोड़ जमा किये गये।

आई0डब्ल्यू0डी0पी0 शिवालिक (हिल्स–।।) के अन्तर्गत 505 गरिमाओं का गठन किया गया। गरिमा के प्रमुख कार्य निम्नवत थे –

- ग्रामीणों को संगठित कर ग्राम योजना तैयार करना व उसका कार्यान्वयन।
- मासिक बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना।
- परियोजना द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।
- चक्रीय कोष का गठन एवं सक्रिय रूप से उसका संचालन।
- लाभार्थियों का चयन, परियोजना कार्यान्वयन हेतु लाभार्थी अंशदान व चक्रीय कोष हेतु अंशदान के लिये लाभार्थियो को प्रोत्साहित करना।
- परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीणों को अंशदान हेतु प्रोत्साहित करना।
- परियोजना कार्यक्रमों /लेखा एवं लाभार्थी अंशदान का रिकॉर्ड रखना।
- ग्रामीणों के मध्य विवादों का समाधान।

परियोजना में 496 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये। सदस्यों द्वारा समूह के कोष में नियमित अंशदान दिया गया। इस प्रकार इन समूहों के कोष में रू0 43.60 लाख जमा किये गये। इस धनराशि में से कुछ धनराशि सदस्यों को कुटीर उद्योगो के संचालन हेतु ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई ।

◈ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" (ग्राम्या)

परियोजना क्षेत्र– जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौडी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल (76 MWS) 2348 वर्ग कि0मी0

परियोजना अवधि – सितम्बर, 2004 से 2012 तक

परियोजना लागत – लगभग 488 करोड़ रूपया

परियोजना का कार्यान्वयन – कृषि व्यवस्था में सुधार एवं क्षमता विकास परियोजना द्वारा तथा जलागम उपचार एवं ग्राम विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा।

अतिरिक्त वित्त पोषणः – वर्ष 2010 में विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 0.798 करोड़ अमेरिकन डालर के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए, जिससे परियोजना की कुल धनराशि लगभग रु0 488 करोड़ हो गई।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय की विभिन्न पूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत 896 करोड़ रुपया व्यय कर 269 सूक्ष्म जलागमों के 9960 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में परियोजना कार्य किया गया।

1.4.2 चालू परियोजना

वाह्य वित्त पोषित

- **विश्व बैंक वित्त पोषित UDWDP के अन्तर्गत Global Environment Facility (GEF) Trust Fund की उप परियोजना SLEM**

परियोजना क्षेत्र– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं बागेश्वर।

परियोजना अवधि– 2009 से अगस्त 2013

परियोजना लागत– 7.49 मि0 अमेरिकन डॉलर (लगभग रु0 37 करोड़)

- **IFAD द्वारा वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)**

परियोजना क्षेत्र – जनपद– पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं चम्पावत (22 सूक्ष्म जलागम का 702 वर्ग कि0मी0 जलागम क्षेत्र)

परियोजना अवधि – 2012 से 2019

परियोजना लागत – रू0 244 करोड़

केन्द्र पोषित

केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 3253 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र हेतु रु0 467.37 करोड़ लागत की 62 योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, जिनमें परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा रहा है। इन योजनाओं में भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत व्यय भार वहन किया जा रहा है।

1.4.3 नई प्रस्तावित परियोजना

विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना – फेज–2 (ग्राम्या–2)

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के सफलता पूर्ण संचालन के पश्चात् परियोजना के फेज–2 हेतु 170 मिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थात लगभग रुपया 1020 करोड़ के योजना प्रस्ताव पर विश्व बैंक से सहमति प्राप्त हो गई है। जिसमें 121.2 मि0 अमेरिकन डालर, लगभग रु0 727 करोड़ की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक से 3 मि0 डालर लगभग रु0 18 करोड़ लाभार्थी अंशदान से तथा 45.8 मि0 डालर लगभग रु0 275 करोड़ के समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। यह योजना प्रदेश के 18 विकास खण्डों के 2638 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेगी जिसमें 509 ग्राम पंचायतों के 26,000 परिवार लाभान्वित होंगे। सात वर्षीय यह योजना इस वर्ष 2014 में प्रारम्भ होकर वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण होगी।

2 जलागम प्रबन्धा निदेशालय की स्थापना (राज्य सेक्टर योजना)

2.1 जलागम प्रबन्ध निदेशालय का पुनर्गठन

जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा जलागम के आधार पर कृषि, भूमि सरंक्षण, वन, ग्राम्य विकास आदि विभागों के माध्यम से जलागम परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना है। ढालू एवं पर्वतीय भू–संरचना के क्षेत्रों में अनियंत्रित जल प्रवाह से भू–क्षरण के कारण कृषि भूमि, वानस्पतिक आवरण का ह्रास रोकने के उद्देश्य से जलागम को नियोजन की इकाई मानते हुए जलागम प्रबन्धन एवं विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। इन योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से होता है।

राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न जलागम प्रबन्ध योजनाओं का संचालन, जो विभिन्न विभागों/एजेन्सियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था, को समेकित रूप से उनके अनुश्रवण/ समन्वयन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय को एक नोडल एजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया। इस दायित्व को सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय को एकछत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का निर्णय लेते हुए **शासनादेश संरव्या 203/जलागम /कृषि /2002 दिनांक 15 मई 2002** द्वारा जलागम प्रबंध निदेशालय का पुनर्गठन कर स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया।

2.2 पुनर्गठित जलागम प्रबंध निदेशालय के उददेश्य

- विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही जलागम आधारित योजनाओं जैसे बरानी खेती (शुष्क भूमि) विकास योजना, बंजर भूमि विकास योजना, सूखे के प्रभाव को कम करने हेतु क्षेत्रीय सूखोन्मुख योजना (डी0पी0ए0पी0), नदियों के कैचमेंट क्षेत्र के भूमि कटाव को रोकने हेतु नदी घाटी परियोजना (आर0वी0पी0) आदि योजनाओं में समन्वय तथा इनमें केन्द्राभिमुखता सुनिश्चित करना तथा प्रभावी नियोजन एवं मूल्यांकन ।
- प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तथा प्रबन्धन, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि, कृषि आधारित आर्थिक विकास, ग्रामीण समुदाय की क्षमता

का विकास, भूमि कटाव की रोकथाम, जल संग्रहण तथा क्षेत्र का विकास तथा स्थानीय जन जीवन को निरन्तर विकास की ओर अग्रसर करना है।

- जलागम योजनाओं के लिए केन्द्र/वाह्य वित्त संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाना।
- ग्रामीण सहभागिता को अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक स्वरूप देने, क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं विकसित तकनीकी जानकारी का प्रसार तथा परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की स्थापना।
- भू–सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) को विकसित कर डाटा बैंक तैयार करना व राज्य स्तर पर जलागम योजनाओं के प्रभाव का आंकलन एवं डाक्यूमेंटेशन, दृश्य एवं श्रव्य कार्यक्रमों का आयोजन।

2.3 उत्तराखण्ड के जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण

क0सं0	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	161
2	गंगा ''अ''	2	5	56
3	गंगा ''ब''	2	12	88
4	भागीरथी	2	18	159
5	अलकनन्दा	5	22	207
6	रामगंगा	3	11	87
7	कोसी	4	13	117
8	काली	3	16	235
	कुल	26	116	1110

2.4 उत्तराखण्ड में जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अध्यावधिक स्थिति

क्र0 सं0	जिला	सूक्ष्म जलागमों की संख्या	उपचारित सूक्ष्म जलागमों की संख्या *	सूक्ष्म जलागमों में चालू योजनाएं *	अनुपचारित सूक्ष्म जलागमों की संख्या	3200 मी0 से कम ऊँचाई वाले सूक्ष्म जलागमों की संख्या **	3200 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पौड़ी	129	78	32	19	19	0
2	देहरादून	95	47	24	24	24	0
3	चमोली	140	24	69	47	16	31
4	उत्तरकाशी	164	10	86	68	26	42
5	टिहरी	134	44	46	44	42	2
6	रूद्रप्रयाग	40	10	23	7	3	4
7	अल्मोड़ा	100	15	69	16	16	0
8	बागेश्वर	56	5	35	16	13	3
9	पिथौरागढ़	130	3	41	86	44	42
10	चंपावत	40	4	20	16	16	0
11	नैनीताल	74	23	25	26	26	0
12	उधमसिंह नगर	08	1	1	6	6	0
	कुल	**1110**	**264**	**471**	**375**	**251**	**124**

* योजनायें सूक्ष्म जलागम के आंशिक क्षेत्रों (मिनी वाटरशैड) में क्रियान्वित

** शनैःशनैः उपचारित किये जाने वाले सूक्ष्म जलागम

जलागम प्रबन्धन को सुदृढ़ करने तथा इसके सुगम क्रियान्वयन हेतु पुनर्गठित जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधीन प्रशासनिक, नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, तकनीकी तथा परियोजना कार्यान्वयन शाखायें स्थापित की गयी हैं, जिनमें 262 पदों का सृजन किया गया है।

2.5 जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत पदों का विवरण

क0सं0	पद नाम	वेतनबैंण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	मुख्य परियोजना निदेशक	34400–67000	1	1	1
2	अपर निदेशक नियोजन/मूल्यांकन	37400–67000	8900	1	1
3	अपर निदेशक तकनीकी	37400–67000	8900	1	1
4	उप निदेशक मूल्यांकन/ अनुश्रवण	15600–39100	6600	1	1
5	उप निदेशक नियोजन, प्रालेखन/प्रसार	15600–39100	6600	1	1
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300–34800	4200	1	0
7	जी0आई0एस0 तकनीशियन	9300–34800	4200	1	0
	कुल योग–			**7**	**5**

निदेशालय में स्वीकृत 262 पदों में से 255 पदों को उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना एवं समेकित आजीविका सहयोग परियोजना में स्वीकृत किया गया है, अवशेष 7 पद निदेशालय में यथावत हैं। इन परियोजनाओं की समाप्ति के उपरान्त ये पद निदेशालय में यथावत बने रहेंगे।

2.6 जलागम प्रबन्ध निदेशालय के वित्तीय संसाधनों के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	अनुदान सं0 17 लेखाशीर्षक – 2401, फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत, 800 अन्य योजनायें, 05– जलागम प्रबन्ध निदेशालय– 00	
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	राजस्व– रू0 43.11 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 43.11 लाख**	राजस्व– रू0 69.80 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 69.80 लाख**

2.7 मानक मदवार अनुमानित व्यय 2013–14 एवं आय–व्ययक अनुमान 2014–15

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
	बजट प्राविधान	वर्ष में अनुमानित व्यय	
राजस्व मद			
01– वेतन	2616	1948	3000
02– मजदूरी	0	0	0
03– महंगाई भत्ता	2213	1753	3300
04– यात्रा भत्ता	0	0	150
05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	100
06– अन्य भत्ता	452	580	330
07– मानदेय	0	0	0
08– कार्यालय व्यय	0	0	0
09– विद्युत	0	0	0
10– जल कर	0	0	0
11– लेखन सामग्री	0	0	0
12– कार्यालय साज	0	0	0
13– टेलीफोन	0	0	0
14– गाडियों का क्रय	0	0	0
15– वाहनो का रखरखाव	0	0	0
16– व्यवसायिक सेवायें	0	0	0
17– किराया	0	0	0
18– प्रकाशन	0	0	0
19– विज्ञापन	0	0	0
20– ग्रान्ट इन एड	0	0	0
24– वृहद.. निर्माण कार्य	0	0	0
25– लघु निर्माण कार्य	0	0	0
26– मशीनरी/उपकरण	0	0	0
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	0	100
28– वाहनों का रखरखाव	0	0	0
29– अनुरक्षण	0	0	0
42– अन्य व्यय	0	0	0
44– प्रशिक्षण	0	0	0
45– एल0टी0सी0	0	0	0
46– कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय	0	0	0
47– कम्प्यूटर रखरखाव	0	0	0
योग राजस्व	**5281**	**4311**	**6980**
24– भवन निर्माण	**0**	0	**0**
कुल योग	**5281**	**4311**	**6980**

3

जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद

उत्तराखण्ड राज्य में जलागम प्रबन्ध की समस्त योजनाओं जिनका संचालन विभिन्न विभागों/ एजेंसियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, का यथेष्ट लाभ जन सामान्य तक पहुॅचाने के उद्देश्य हेतु माननीय जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद के कार्य व अधिकारः

- ❖ जलागम विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव।
- ❖ जलागम विकास योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये समय– समय पर सुझाव।
- ❖ जलागम विकास हेतु संसाधनों में वृद्धि के लिये उपाय प्रस्तावित करना।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं अनुश्रवण विकास परिषद का अस्तित्व शासन के अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

3.1 जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद के वित्तीय संसाधनों के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	अनुदान सं0 17 लेखाशीर्षक – 2401, फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत, 800 अन्य योजनाये, 11– जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद	
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	राजस्व– रू0 4.90 लाख पूंजीगत– रू0 0.00 लाख **कुल– रू0 4.90 लाख**	राजस्व– रू0 8.01 लाख पूंजीगत– रू0 0.00 लाख **कुल– रू0 8.01 लाख**

3.2 मानक मदवार अनुमानित व्यय 2013–14 एवं आय–व्ययक अनुमान 2014–15

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014 –15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
	बजट प्राविधान	अनुमानित व्यय	
राजस्व मद			
01– वेतन	0	0	0
02– मजदूरी	200	50	150
03– महंगाई भत्ता	0	0	0
04– यात्रा भत्ता	100	50	50
05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	0
06– अन्य भत्ता	50	25	50
07– मानदेय	200	105	150
08– कार्यालय व्यय	150	50	100
09– विद्युत	20	5	20
10– जल कर	5	0	1
11– लेखन सामग्री	30	15	30
12– कार्यालय साज सज्जा	50	25	50
13– टेलीफोन	20	5	20
14– गाडियों का क्रय	0	0	0
15– वाहनो का रखरखाव	150	75	100
16– व्यवसायिक सेवायें	0	0	0
17– किराया	100	45	50
18– प्रकाशन	10	10	10
19– विज्ञापन	10	10	10
20– ग्रान्ट इन एड	0	0	0
24– वृहद निर्माण कार्य	0	0	0
25– लघु निर्माण कार्य	0	0	0
26– मशीनरी/उपकरण	0	0	0
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	0	0
28– वाहनों का रखरखाव	0	0	0
29– अनुरक्षण	0	0	0
42– अन्य व्यय	0	0	0
44– प्रशिक्षण	0	0	0
45– एल0टी0सी0	0	0	0
46– कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय	0	0	0
47– कम्प्यूटर रखरखाव एवं स्टेशनरी क्रय	20	20	10
योग राजस्व	**1115**	**490**	**801**
24– भवन निर्माण	**0**	0	**0**
कुल योग	**1115**	**490**	**801**

4 जलागम विकास परियोजनाओं हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008

4.1 केन्द्र पोषित समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा जलागम विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 वर्ष 2008–09 में जारी किये गये है। इस कार्यक्रम को समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) नाम दिया गया है, कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें निम्न हैः–

- राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
- समर्पित संस्थागत व्यवस्थाये।
- समर्पित संस्थागत को वित्तीय सहायता (भारत सरकार द्वारा)
- कार्यक्रम की अवधि (4 वर्ष से 7 वर्ष)
- आजीविका अभिमुखीकरण (9% धनराशि मात्राकृत)
- सामूहिक दृष्टिकोण (Cluster approach)
- वैज्ञानिक आयोजना
- क्षमता विकास
- बहुआयामी दृष्टिकोण

परियेाजना प्रबन्धन

जलागम विकास परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों को तीन चरणों के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।

चरण	नाम	अवधि
1	प्रारम्भिक चरण	1 – 2 वर्ष
2	कार्यचरण	2 – 3 वर्ष
3	समेकन और निवर्तन चरण	1 – 2 वर्ष

संस्थागत व्यवस्थायें

"समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थागत व्यवस्था"

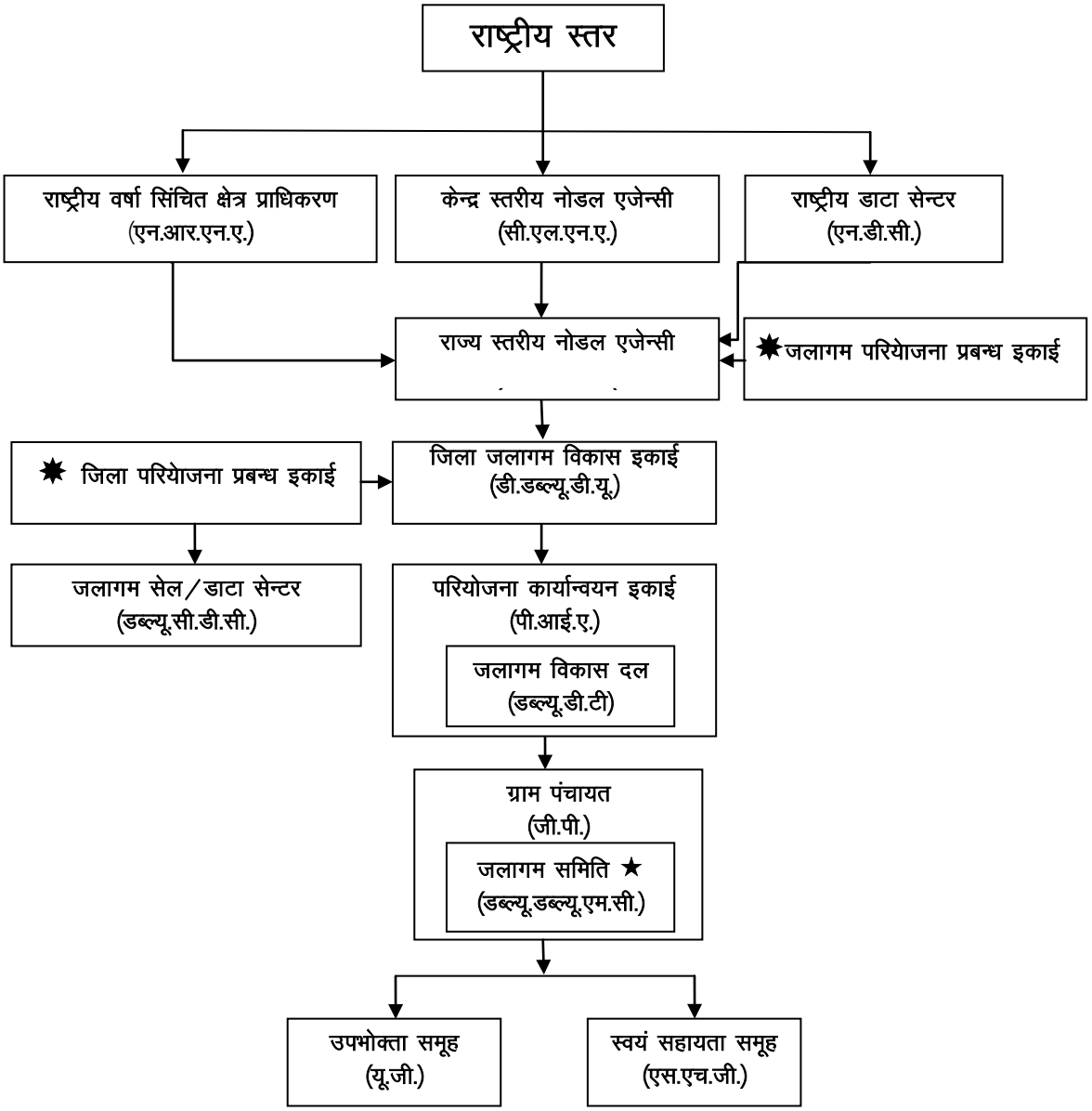

एन.आर.एन.ए.	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	**डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी.**	- जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति
सी.एल.एन.ए.	केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी	**डब्ल्यू.डी.टी.**	- जलागम विकास दल
एन.डी.सी.	राष्ट्रीय डाटा सेन्टर	**जी.पी.**	- ग्राम पंचायत
एस.एल.एन.ए.	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी	**एस.एच.जी.**	- स्वयं सहायता समूह
डी.डब्ल्यू.डी.यू.	जिला जलागम विकास इकाई	**यू.जी.**	- उपभोक्ता समूह
पी.आई.ए.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई		-
डब्ल्यू.पी.एम.यू.	जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		-
डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.	जिला जलागम परियोजना प्रबन्ध इकाई		
✸	**सोसाइटी रजिट्रशन एक्ट–1860 के अनुसार पंजीकृत संस्था**		

विभिन्न संघटकों के सम्बन्ध में बजट प्राविधान

विशिष्ट जलागम परियोजनाओं के लिए उनमें सम्मिलित विभिन्न संघटक के सम्बन्ध में बजट का वितरण निम्नानुसार हैः–

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता
प्रशासनिक लागत	10
निगरानी	1
मूल्यांकन	1
प्रारम्भिक चरण, निम्नलिखित सहित	
प्रारम्भिक कार्यकलाप	4
संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1
जलागम कार्य चरणवार	
जलागम विकास कार्य,	56
निर्बल वर्ग समूह तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी कार्यकलाप,	9
उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	10
समेकन चरण	3
योग	**100**

राज्य में समेकित जलागम प्रबन्ध परियोजना (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) की वर्तमान स्थिति :

समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों (Common Guidelines) के अनुसार **'जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड''** को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (State Level Nodal Agency) नामित किया गया है, तथा 19 दिसम्बर 2008 में राज्य के विभिन्न विभागों को प्रतिनिधित्व देते हुए समिति का गठन किया गया, जिसमें एन0आर0ए0ए0 राज्य में स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों तथा प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

4.2 संदर्शी एवं कार्यनीतिक योजना (State Perspective and Strategic Plan)

SLNA का पहला कार्य राज्य का State Perspective and Strategic Plan तैयार करना था। इस क्रम में निदेशालय द्वारा DoLR तथा NRAA (राष्ट्रीय वर्षासिचिंत क्षेत्र प्राधिकरण) द्वारा जारी निर्देशों व प्रारूपों पर राज्य का एक 18 वर्षीय Perspective and Strategic Plan (2009–2027) तैयार किया है। इसे चार भागों में विभाजित गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीन वर्षो, 12वीं, 13वीं व 14वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अलग–अलग भागों में तैयार कर राज्य के अनुपचारित क्षेत्रफल लगभग 19.50 लाख है0 हेतु योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस 18–वर्षीय State Perspective and Strategic Plan (2009-2027) को तैयार कर DOLR, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

आई0डब्लू0एम0पी0 की 18 वर्षीय संदर्शी एवं कार्यनीतिक योजना (2009–2027)

क्र. सं.	जनपद का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना की अवशेष अवधि (2009 to 2012)		12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 to 2016-17)		13वीं पंचवर्षीय योजना (2017-18 to 2021-22)		14वीं पंचवर्षीय योजना (2022-23 to 2026-27)		कुल योग 18 वर्ष	
		भौतिक (हेक्टयर)	वि. (रू0 करोड़)	भौतिक (हेक्टयर)	वित्तीय (रू0 करोड़)	भौतिक (हेक्टयर)	वित्तीय (रू0 करोड़)	भौतिक (हेक्टयर)	वित्तीय (रू0 करोड़)	भौतिक (हेक्टयर)	वित्तीय (रू0 करोड़)
1	अल्मोड़ा	35000	52.50	45000	67.50	50000	75.00	23585	35.38	153585	230.38
2	बागेश्वर	40000	60.00	45000	67.50	50000	75.00	61947	92.92	196947	295.42
3	चमोली	25000	37.50	20000	30.00	20000	30.00	4323	6.48	69323	103.98
4	रूद्रप्रयाग	20000	30.00	20000	30.00	12000	18.00	2462	3.69	54462	81.69
5	चम्पावत	20000	30.00	20000	30.00	20000	30.00	6387	9.58	66387	99.58
6	देहरादून	25000	37.50	15000	22.50	12000	18.00	1072	1.61	53072	79.61
7	हरिद्वार	30000	36.00	30000	36.00	30000	36.00	30000	36.00	120000	144.00
8	नैनीताल	40000	60.00	30000	45.00	50000	60.00	110934	133.12	230934	277.12
9	पौड़ी गढ़वाल	35000	52.50	35000	52.50	50000	75.00	123787	185.68	243787	365.68
10	पिथौरागढ़	30000	45.00	40000	60.00	50000	75.00	81780	122.67	201780	302.67
11	टिहरी गढ़वाल	40000	60.00	50000	75.00	40000	60.00	64261	96.39	194261	291.39
12	उद्यमसिंह नगर	50000	60.00	40000	48.00	40000	48.00	36780	44.14	166780	200.14
13	उत्तकाशी	40000	60.00	40000	60.00	40000	60.00	60569	90.85	180569	270.85
	योग	**430000**	**621**	**430000**	**624**	**464000**	**660**	**607887**	**858.52**	**1931887**	**2742.52**

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्ध कर ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढाना है।

योजना के मुख्य घटक

- सामुदायिक सहभागिता के द्वारा जलागम विकास तथा प्रबन्धन व सामाजिक जागरूकता;
- जीविकोपार्जन गतिविधियों यथा कृषि पद्धति में सुधार, ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए आय–अर्जक गतिविधियों, उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता में सहयोग करना।
- संस्थागत विकास के अन्तर्गत जलागम समितियों का गठन, स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा उनका क्षमता विकास आदि।

4.3 प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (Preliminary Projects Report - 2010-11)

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	परियोजना संख्या	सम्मिलित विकास खण्ड	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	कुल लागत (रू0 लाख में)	केन्द्रांश (रू0 लाख में)	राज्यांश (रू0 लाख में)
1	अल्मोड़ा	4	चौखुटिया, साल्दें, हवलवाग ताडीखेत, भिकियासैंण, द्वाराहाट	19412	2911.80	2620.62	291.18
2	बागेश्वर	4	बागेश्वर, कपकोट, गरूड	19739	2960.85	2664.77	296.09
3	चमोली	2	दशोली, नारायणबगड़, पोखरी, कर्णप्रयाग	8350	1252.50	1127.25	125.25
4	चम्पावत	3	पाटी, चम्पावत	16511	2476.65	2228.99	247.67
5	देहरादून	3	चकराता	16263	2439.45	2195.51	243.95
6	नैनीताल	3	बेतालघाट, रामगढ़, धारी	14402	2160.30	1944.27	216.03
7	पौड़ी	4	बीरोंखोल, थलीसैण, कोट, पौड़ी, पावों	19098	2864.70	2578.23	286.47
8	पिथौरागढ़	2	धारचूला, डीडीहाट, कनालीछाना, बेरीनाग	10458	1568.70	1411.83	156.87
9	रूद्रप्रयाग	2	अगस्तमुनि, उखीमठ	12339	1850.85	1665.77	185.09
10	उधमसिंहनगर	4	बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, गदरपुर	22500	2700.00	2430.00	270.00
11	उत्तरकाशी	3	पुरौला, नौगांव, मोरी	17609	2641.35	2377.22	264.14
12	हरिद्वार	2	रूडकी, खानपुर	10000	1200.00	1080.00	120.00
	योग	**36**		**186681**	**27027.15**	**24324.44**	**2702.71**

स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त भी हो चुकी है। वर्तमान में क्षमता विकास कार्यक्रम, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप (Entry Point Activities) का कार्य समाप्ति पर है तथा कार्यचरण के कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

4.4 प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (Preliminary Projects Report - 2011-12)

वर्ष 2011–12 हेतु राज्य के 11 जनपदों की 18 परियोजनाओं की प्रारम्भिक परियोजना रिर्पोट (PPR) भारत सरकार को माह फरवरी 2012 में प्रेषित की गई। रू0 142.4820 करोड की 99123 है0 क्षेत्रफल की परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी है। जनपदवार विवरण निम्न है–

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र0 संख्या	जनपद का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सम्मिलित विकास खण्ड	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0)	कुल परियोजना लागत (रू0 लाख में)	केन्द्रांश (रू0 लाख में)	राज्यांश (रू0 लाख में)
1	अल्मोड़ा	2	साल्दें, सल्ट भिकियासैंण	11487	1723.05	1550.75	172.31
2	बागेश्वर	1	गरूड़	6062	909.30	818.37	90.93
3	चमोली	1	घाट	4990	748.50	673.65	74.85
4	चम्पावत	1	चम्पावत	5854	878.10	790.29	87.81
5	नैनीताल	1	हल्द्वानी	5222	783.30	704.97	78.33
6	पौड़ी	2	कोट, पौड़ी थलीसैण	11466	1719.90	1547.91	171.99
7	पिथौरागढ़	1	मुनाकोट, पिथौरागढ़	4848	727.20	654.48	72.72
8	टिहरी	3	नरेन्द्रनगर, भिलंगना	16880	2532.00	2278.80	253.20
9	उधमसिहनगर	2	रूद्रपुर, जसपुर, काशीपुर	10675	1281.00	1152.90	128.10
10	उत्तरकाशी	2	नौगांव, पुरौला	11639	1745.85	1571.27	174.59
11	हरिद्वार	2	बहादराबाद, नारसन	10000	1200.00	1080.00	120.00
	योग	**18**		**99123**	**14248.20**	**12823.38**	**1424.820**

28 फरवरी, 2013 तक भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की परियोजनाओं हेतु 6 प्रतिशत धनराशि रु0 6.56 करोड़ अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की धनराशि रु0 0.73 करोड़ अवमुक्त की गई। वर्तमान में प्रारम्भिक चरण के कार्य किये जा रहे है।

4.5 प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (Preliminary Projects Report - 2012-13)

वर्ष 2012–13 हेतु राज्य के 5 जनपदों की 8 परियोजनाओं की प्रारम्भिक परियोजना रिर्पोट (PPR) भारत सरकार को प्रेषित की गई। रू0 54.62 करोड की 39531 है0 क्षेत्रफल की परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी है। जनपदवार विवरण निम्न है–

क0 स0	जनपद का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सम्मिलित विकास खण्ड	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0)	कुल परियोजना लागत (रू0 लाख में)	केन्द्रांश (रू0 लाख में)	राज्यांश (रू0 लाख में)
1	अल्मोडा	2	भैसियाछाना	8513	1276.95	1149.255	127.695
2	पौड़ी	1	बीरोंखाल	5278	791.7	712.53	79.17
3	उधमसिंहनगर	1	सितारगंज	5585	670.2	603.18	67.02
4	हरिद्वार	2	लक्सर, बाहदराबाद	10000	1200	1080	120
5	टिहरी	2	भिलंगना	10155	1523.25	1370.925	152.325
योग	**5**	**8**	**6**	**39531**	**5462.1**	**4915.89**	**546.21**

4.6 परियोजना में अब तक अवमुक्त कुल धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय (लाख रुपयों में)

स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	31.03. 2013 तक व्यय	01.04.2013 का अवशेष	वर्ष 2013–14 के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि			कुल उपलब्ध धनराशि	माह दिसम्बर 2013 तक व्यय	1 जनवरी 2014 अवशेष
				केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य (व्यय)			
2010–11	36	729.39	1170.52	0	0	8.36	1178.88	601.83	577.04
2011–12	18	0	729.41	0	0	0	729.41	65.18	664.22
2012–13	08	0	0	0	0	0	0	9.84	0
योग	**62**	**729.39**	**1899.93**	**0**	**0**	**8.36**	**1908.29**	**676.85**	**1241.26**

4.7 समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के वित्तीय संसाधनों के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	**अनुदान सं0 17 लेखाशीर्षक– 2401, फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत, 800 अन्य योजनाये, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0105– समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम**	
वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमानित व्यय**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान**
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	राजस्व– रू0 624.00 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू 624.00 लाख**	राजस्व– रू0 6520.00 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 6520.00 लाख**

नोटः वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना के राज्यांश की धनराशि अंकित की गई है, केन्द्रांश की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना कोष में सीधे हस्तान्तरित किया जाना प्राविधानित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि विभाग को विभागीय बजट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। तदनुशार ही केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि का बजट प्राविधान किया जा रहा है।

4.8 मानक मदवार अनुमानित व्यय 2013–14 एवं आय–व्ययक अनुमान 2014–15

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014 –15
	बजट प्राविधान	वर्ष में अनुमानित व्यय	हेतु आय–व्ययक अनुमान
राजस्व मद			
01– वेतन	0	0	0
02– मजदूरी	0	0	0
03– महंगाई भत्ता	0	0	0
04– यात्रा भत्ता	0	0	0
05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	0
06– अन्य भत्ता	0	0	0
07– मानदेय	0	0	0
08– कार्यालय व्यय	0	0	0
09– विद्युत	0	0	0
10– जल कर	0	0	0
11– लेखन सामग्री	0	0	0
12– कार्यालय साज सज्जा	0	0	0
13– टेलीफोन	0	0	0
14– गाडियों का क्रय	0	0	0
15– वाहनो का रखरखाव	0	0	0
16– व्यवसायिक सेवायें	0	0	0
17– किराया	0	0	0
18– प्रकाशन	0	0	0
19– विज्ञापन	0	0	0
20– ग्रान्ट इन एड	155083	62400	652000
24– वृहद निर्माण कार्य	0	0	0
25– लघु निर्माण कार्य	0	0	0
26– मशीनरी/उपकरण	0	0	0
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	0	0
28– वाहनों का रखरखाव	0	0	0
29– अनुरक्षण	0	0	0
42– अन्य व्यय	0	0	0
44– प्रशिक्षण	0	0	0
45– एल0टी0सी0	0	0	0
46– कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय	0	0	0
47– कम्प्यूटर रखरखाव एवं स्टेशनरी क्रय	0	0	0
योग राजस्व	**155083**	**62400**	**652000**
24– भवन निर्माण	**0**	**0**	**0**
कुल योग	**155083**	**62400**	**652000**

5

विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या)

5.1 उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) फेज–I (संक्षिप्त परिचय)

❖ अवधि	:	सितम्बर, 2004 से मार्च, 2012
❖ क्षेत्रफल	:	2348 वर्ग कि0मी0
❖ जनपद	:	देहरादून, पौड़ी गढवाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं चम्पावत।
❖ विकास खण्ड	:	18
❖ ग्राम पंचायत	:	468
❖ सूक्ष्म जलागम	:	76
❖ वित्त पोषण	:	विश्व बैंक (वाह्य सहायतित)
❖ परियोजना अनुमानित वित्तीय लक्ष्य	:	कुल : रू0 451 करोड़ विश्व बैंक : रू0 351 करोड़ लाभार्थी अंश : रू0 14 करोड़ राज्य अंश : रू0 86 करोड़
❖ परियोजना अवधि में वास्तविक व्यय		कुल : रू0 488 करोड़ विश्व बैंक : रू0 344 करोड़ लाभार्थी अंश : रू0 43 करोड़ राज्य अंश : रू0 101 करोड़
❖ कार्यदायी संस्था		ग्राम पंचायत
❖ कार्य करने की पद्धति		जन सहभागिता
❖ परियोजना निदेशक (फील्ड)		सं0 2, मुख्यालय : ऋषिकेश , हल्द्वानी
❖ उप परियोजना निदेशक		सं0 8, मुख्यालय : विकासनगर, चिन्यालीसौड, अगस्तमुनि, गैरसैंण, लोहाघाट, पिथौरागढ, बागेश्वर, हल्द्वानी
❖ पार्टनर एन0जी0ओ0		संख्या 2, मुख्यालय–कोटद्वार, द्वाराहाट
❖ परियोजना की समितियां		**राज्य स्तर** – स्टेट स्टेयरिंग कमेटी **जिला स्तर** –जिला जलागम समिति **ग्राम पंचायत स्तर** –जल व जलागम प्रबन्ध समिति

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के कार्य 18 विकास खण्ड़ों की चयनित सभी 468 ग्राम पंचायतों में सम्पादित किये गये। यह परियोजना मार्च 2012 में पूर्ण हो गई है।

वर्ष 2009–10 से जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं बागेश्वर के चयनित 20 सूक्ष्म जलागमों में जैफ उप योजना का कार्यान्वयन किया गया है। यह योजना अगस्त 2013 में पूर्ण हो गई है।

5.2 परियोजना के अन्तर्गत Global Environment Facility (GEF) Trust Fund की उप परियोजना SLEM :

सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास योजना(ग्राम्या) की जलागम विकास गतिविधियों के अपेक्षित परिणामों में आनुपातिक वृद्धि तथा प्राप्त परिणामों को मुख्य धारा में प्रचलित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वायरमेंट फेसिलिटी फण्ड (जी0ई0एफ0) ट्रस्ट द्वारा 7.49 मि0 अमेरिकी डॉलर के अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त अनुदान से ग्राम्या के उद्देश्यों के अनुरूप ही पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण के साथ आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि सम्बन्धी गतिविधियाँ की गयी।

ग्राम्या के अन्तर्गत उपचारित किये जा रहें 76 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में से अत्यधिक भूक्षरण, निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर, व्यापक भूमि अवनतन तथा जैवविविधता ह्रास के अत्यधिक खतरे वाले 20 सूक्ष्म जलागमों में योजना के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया गया। जैफ ट्रस्ट फण्ड द्वारा प्राप्त अनुदान से ग्राम्या के उद्देश्यों एवं घटकों में कोई परिवर्तन किये बिना ही अधिक बेहतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये गये।

उद्देश्य

पारिस्थिकीय क्रियाओं तथा जैवविविधता के पुनरोत्थान तथा दीर्धावधिक संरक्षण द्वारा जलागम प्रबन्धन गतिविधियों की चिरन्तरता हेतु सहयोग करने के साथ–साथ आय तथा आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि तथा अनुभवों व सीख द्वारा अपेक्षित परिणामों में अनुपातिक वृद्धि कर, प्राप्त परिणामों को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में प्रचलित करना।

योजना गतिविधियां

1. **सामुदायिक सहभागिता से जलागम नियोजनः** ग्राम्या की चिन्हित 20 सूक्ष्म जलागमों के समग्र उपचार हेतु इनकी ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओ (GPWDP) को सूक्ष्म जलागमवार

समन्वित कर सूक्ष्म जलागम स्तरीय योजनायें बनाया जाना। योजना निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना।

2. **जलागम स्तर पर दीर्घावधिक भूमि व पारिस्थितिकीय प्रबन्धन (एस0एल0ई0एम0) अवधारणा से भूमि अवनतन की रोकथामः** समुदाय द्वारा प्राथमिकता तय करके कृषि योग्य तथा अकृष्य भूमि पर भूमि संरक्षण कार्य, वन्य पुनरोत्पादन, चारागाह विकास, भू–संरक्षण बन्ध, वानस्पतिक अवरोधक, वनाग्नि तथा जल संवर्धन गतिविधियां।

3. **अकाष्ठकीय वन उत्पादों के प्रयोग/विपणन को प्रोत्साहित कर प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करनाः** इस घटक के अन्तर्गत यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 में की जा रही पाइनब्रिकेट निर्माण गतिविधि को और अधिक प्रोत्साहित किया गया, ताकि चीड की सूखी पत्तियों को ईधन के रूप में प्रयोग कर ईधन के लिये वनों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। साथ ही परियोजना क्षेत्र के निर्बल वर्ग समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा पाइनब्रिकेट निर्माण को आय अर्जक गतिविधियो के रूप में अंगीकृत किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

4. **सामुदायिक सहभागिता तथा जलागम नियोजन द्वारा जैवविविधता के संरक्षण व प्रबन्धन को प्रोत्साहनः** इस घटक के अन्तर्गत सभी 20 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में समुदाय द्वारा कम से कम 5 स्थानीय औषधीय एवं सगन्ध पौध प्रजातियों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना। यह कार्य सामूहिक उत्पादन अवधारणा के अनुसार किया गया, ताकि उत्पादों को विक्रय हेतु पर्याप्त मात्रा में उत्पादित कर मार्केट लिंकेज के माध्यम से बेचे जा सकें।

5. **प्राकृतिक संसाधन आधारित उत्पादन तन्त्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में सुधारः** इस घटक में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पर्वतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों हेतु समझ विकसित करने के लिये एक अध्ययन किये जाने के साथ अनुकूलन योजना भी तैयार की जानी थी।

6. सस्टेनेबल लैण्ड एण्ड इकोसिस्टम मैनेजमैन्ट (SLEM) की भागीदारी से सफलतम प्रयोगों का डॉक्यूमेंटेशन व उनका राज्य के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार इस घटक के अन्तर्गत मुद्रण तथा दृश्य–श्रव्य माध्यमों के द्वारा अभिनव गतिविधियों का मुद्रण/प्रकाशन /प्रस्तुतिकरण किया जाना।

7. **परियोजना प्रबन्धन, अनुश्रवण तथा क्षमता विकासः** परियोजना कार्यों के मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों की तैनाती।

अपेक्षित परिणाम

1. ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर स्थित, सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के कुछ भागों को सम्मिलित कर बनायी गयी ग्राम स्तरीय जलागम विकास योजना में दीर्घकालीन जलागम प्रबन्धन मुख्य घटक के रूप में शामिल होना।
2. मृदाक्षरण में कमी, बायोमास में बढ़ोत्तरी तथा जल उपलब्धता में वृद्धि।
3. नई तकनीक का अंगीकरण तथा अकाष्ठीय वन उत्पादों को बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया तथा उत्पादन तन्त्र का विकास।
4. जलागम स्तर पर संख्या तथा गुणवत्ता दोनों आधारों पर जैव विविधता का विकास।
5. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पर्वतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की समझ का विकास।
6. जैवविविधता संरक्षण तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय में जलवायु भिन्नताओं और परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन को शामिल कर दीर्घावधिक भूमि तथा पारिस्थितिकीय प्रबन्धन हेतु बनायी गयी नीतियों अवधारणाओं तथा दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति तथा स्तर सुधार।

उक्त उप योजना के योजना प्रस्ताव पर दिनांक 26.08.2009 को भारत सरकार, राज्य सरकार तथा वित्त पोषण एजेंसी (विश्व बैंक) के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया गया। इस उप योजना के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु UDWDP परियोजना के अन्तर्गत धनराशि प्राविधानित की गई। यह योजना 31 अगस्त, 2013 में पूर्ण हो गयी है। योजना में व्यय धनराशि की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति विश्व बैंक/जैफ ट्रस्ट फण्ड से अनुदान के रुप में हुई।

जैफ उप योजना क्षेत्र

प्रभाग का नाम	सूक्ष्म जलागम	सूक्ष्म जलागम है0	वन क्षेत्र है0	कृषि क्षेत्र है0	ग्राम पंचायत सं0	ग्राम पंचायत क्षेत्र है0	ग्राम पंचायत की जनसंख्या
अगस्त्यमुनि	Surgad	2650	1165	1466	11	2423.7	9802
	Bainyari	2275	862	1206	11	1735.5	9412
	Chinka+ Pogtagad	8974	4781	2750	15	3653.7	9433
	Kunjagad	6450	3641	2534	15	2155.8	9464
बागेश्वर	Kanalgad	1431	1000	270	1	328.02	1404
	Gainargad	1556	1034	503	3	1126.8	1659
	Jargad	1675	1466	209	3	596.4	1362
	Kunmgad	1743	998	372	3	810.3	2526

प्रभाग का नाम	सूक्ष्म जलागम	सूक्ष्म जलागम है0	वन क्षेत्र है0	कृषि क्षेत्र है0	ग्राम पंचायत सं0	ग्राम पंचायत क्षेत्र है0	ग्राम पंचायत की जनसंख्या
	Gaganigad	2337	1810	307	1	584.51	1106
चिन्यालीसौंड़	Kyari	2050	1901	149	1	473.9	379
	Chamargad	1225	612	381	2	336.5	832
	Gairgad	1625	569	944	9	1339.8	4337
	Ghatu	1857	1175	463	3	500.6	1151
	Malogigad	1600	787	682	7	892.1	3715
हल्द्वानी	Dolgad	7094	5608	1412	6	1871.5	3936
	Pashyagad	7431	4813	2393	16	3119.8	6530
	Dythi Gad	2725	2129	596	4	654.8	1422
	Kuyet Gad	3239	2466	773	6	915.3	2805
	Sunkot	2886	2239	647	8	1593.3	2981
	योग	**60823**	**39056**	**18057**	**126**	**25112.2**	**74256**

"Sustainable Land, Water and Biodiversity Conservation and Management for Improved Livelihoods in Uttarakhand Watershed Sector"
Project Funded by GEF

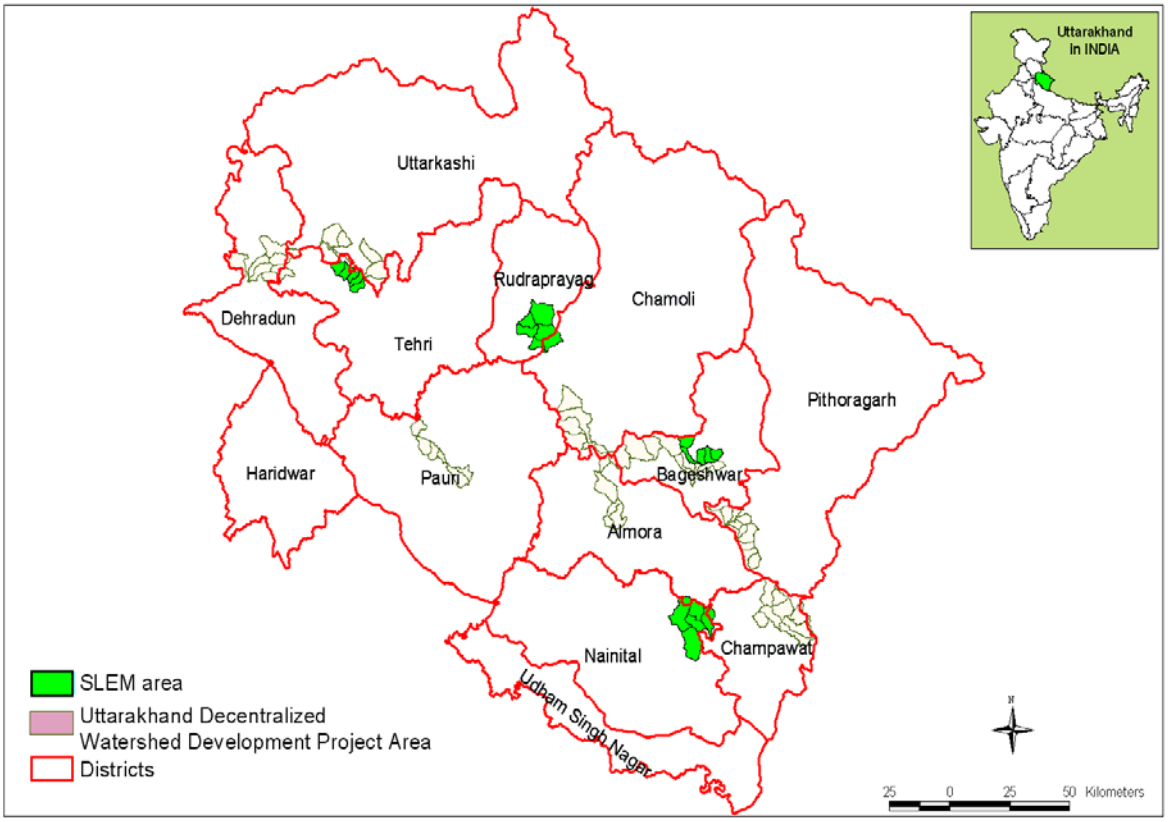

GEF Trust Fund की उप योजना SLEM के अन्तर्गत वर्षवार निष्पादित प्रमुख कार्यः

क्र सं.	कार्य विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	कुल उपलब्धि
1	सूक्ष्म जलागम योजना निर्माण	संख्या	0	20	20	20	20	20
2	वानिकी नर्सरी	संख्या	39	19	1	0	0	49
3	वन पुनरोद्धार अग्रिम मृदा कार्य	है0	0	371	288	171	0	830
4	वन पुनरोद्धार– रोपण	है0	0	0	651	179	0	830
5	वानस्पतिक चैकडैम निर्माण	सं0	0	36	97	358	0	0
6	भू संरक्षण संरचना निर्माण	घन मी0	0	10020	40865	59974	921	111779
7	कन्टूर बण्डिग	सं0	0	8192	21507	60710	1302	91711
8	नदी तटबन्ध सुरक्षा	रनिंग मी0	0	694	1405	1865	115	4080
9	रुफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक	सं0	0	68	40	17	0	125
10	ग्रामीण तालाब	सं0	0	76	194	44	4	318
11	ताल खाल नौला पुनरोद्धार	सं0	0	43	82	278	20	423
12	सिंचाई टैंक निर्माण	सं0	0	0	11	7	0	180
13	परक्यूलेशन/एल0डी0पी0 टैंक	सं0	0	0	22	23	0	45
14	वनाग्नि प्रबन्धन	है0	0	0	166	0	0	186
15	पिरुल कोयला निर्माण मशीन प्रदर्शन	सं0	67	79	57	0	0	203
16	पिरुल़ कोयला स्टोव वितरण	सं0	772	2309	1903	0	0	4984
17	सोलर लालटेन वितरण	सं0	0	450	1918	748	258	3378
18	वायोगैस संयन्त्र स्थापना	सं0	3	0	26	32	5	66
19	स्ट्रीट लाईट	सं0	0	0	31	134	25	190
20	सोलर कुकर वितरण	सं0	0	0	69	0	0	69
21	मार्केटिंग सपोर्ट– कलैक्सन सै0	सं0	0	0	13	0	4	17
22	स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह के सदस्यों का क्षमता वि0	लाभार्थी सं0	525	9092	3361	8604	2328	23910
23	औषधीय पौंध प्रदर्शन	है0	0	105	186	230	61	581
24	पौली हाउस प्रदर्शन	सं0	17	76	42	102	10	247
25	औषधीय पौध नर्सरी	सं0	4	4	4	7	0	19
26	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	लाभार्थी सं0	0	0	1490	3553	2256	7301
27	राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला	सं0	0	0	1	6	2	9

GEF Trust Fund की उप योजना SLEM अन्तर्गत वर्षवार व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्य मद	वर्षवार व्यय					कुल व्यय
	2009 –10	2010 –11	2011 –12	2012 –13	2013 –14	
1. सामूहिक सहभागिता से जलागम योजना निर्माण	4.00	0	00	141.98	62.12	208.10
2 सूक्ष्म जलागम स्तर पर स्लेम एप्रोच के माध्यम से भू–क्षरण पर रोकथाम	38.79	518.47	474.28	530.43	3.92	1565.88
3. अकाष्ठीय वन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा	49.93	196.29	209.63	177.69	46.93	680.46
4. जलागम प्रबन्धन एवं सामुदायिक सहभागिता से जैव विविधीकरण , संरक्षण एवं प्रबन्धन	34.95	253.08	188.55	235.40	37.69	749.69
5. जलवायु परिवर्तन हेतु तकनीकी सहायता	0	0	00	00	0	0
6. डॉक्यूमेंटेशन	10.00	39.31	14.00	47.10	51.84	162.24
7. सूचना प्रबन्धन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	8.16	20.30	33.66	61.29	41.40	164.81
8. परियोजना प्रबन्धन एवं क्षमता विकास	3.50	30.39	13.92	74.27	107.05	229.13
योग उप योजना जैफ	**149.33**	**1057.84**	**934.04**	**1268.16**	**350.94**	**3760.31**

क्षमता विकास गतिविधियां

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

औषधीय एवं सगंध पौध उत्पादन
पिरुल से कोयला निर्माण

वैकल्पिक उर्जा
बायो गैस
घराट जीर्णोद्धार

Global Environment Facility (GEF) Trust Fund की उप परियोजना SLEM की प्रतिपूर्ति धनराशि

(धनराशि लाख रुपये में)

विवरण	मार्च 2013 तक क्रमिक उपलब्धि	2013 –14
1. वास्तविक व्यय	3409.37	350.94
2. प्रतिपूर्ति धनराशि का विवरणः		
▪ वर्ष में व्यय के सापेक्ष	3409.37	350.94
▪ विगत वर्ष में व्यय के सापेक्ष	-	301.80
▪ कुल प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	3409.37	652.74
▪ प्रेषित् दावे (विगत् शेष सहित)	3107.57	652.74
3. कुल अवमुक्त धनराशि (प्राप्त प्रतिपूर्ति)	3107.57	652.74
4. आलोच्य अवधि तक क्रमिक अवमुक्त धनराशि	3107.57	3760.31

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

1. उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम प्रबन्ध परियोजना (ग्राम्या) फेज–1 प्रभाव – परियोजना द्वारा नेशनल कम्पीटेटिव बिड़िंग के माध्यम से ''द ईनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट'' (टेरी), नई दिल्ली संस्था को आधारभूत और मध्यावधिक प्रभावों एवं परियोजना समाप्ति के समय अन्तिम रुप से प्रभावों के आंकलन हेतु चयनित किया गया है। परियोजना की गतिविधियों का अंतिम प्रभाव आंकलन 50 सैम्पल ग्राम पंचायतों के आधार पर किया गया। ये 50 ग्राम पंचायतें कुल 468 ग्राम पंचायतों में से चयनित की गई तथा इन्हें उन चयनित 100 ग्राम पचायतों में से चयनित किया गया, जो आधारभूत सर्वेक्षण हेतु चयनित की गई थी। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से औसतन 2 राजस्व ग्राम तथा चयनित राजस्व ग्राम में से औसतन 8 परिवारों को अन्तिम प्रभाव मूल्यांकन हेतु चयनित किया गया। टेरी संस्था के अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट के निम्न प्रमुख बिन्दु उल्लेखनीय हैं–

- प्रति परिवार की आय में 17 प्रतिशत वृद्धि।
- वानस्पतिक आवरण में 9.37 प्रतिशत वृद्धि।
- घरेलू उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता में 12 प्रतिशत् वृद्धि।
- सिंचित क्षेत्र में 24.7 प्रतिशत वृद्धि।
- प्रदर्शन सूचकों से आंकलित ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता में 20 प्रतिशत वृद्धि ।

- ग्राम सभा की बैठकों की उपस्थिति में 102.5 प्रतिशत वृद्धि।
- ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति में 482 प्रतिशत वृद्धि।
- ग्राम सभा की बैठकों में निर्बल वर्ग के सदस्यों की उपस्थिति में 201 प्रतिशत की वृद्धि।
- ग्राम पंचायतों की बैठकों की संख्या में 111 प्रतिशत की वृद्धि।
- ग्राम पंचायतों की बैठकों की उपस्थिति में 52 प्रतिशत की वृद्धि।
- उन्नत एवं उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन क्षेत्र में 21 प्रतिशत की वृद्धि।
- चारा उत्पादन में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि।
- उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में 19 प्रतिशत् तथा भैंसों की संख्या में 191 प्रतिशत् की वृद्धि।
- सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की संख्या में 30 प्रतिशत् वृद्धि।
- आय अर्जक गतिविधियों से निर्बल वर्ग के सदस्यों की शुद्ध आय में 29.6 प्रतिशत वृद्धि।
- आय अर्जक गतिविधि के प्रारम्भ से दो वर्ष बाद तक सक्रिय समूहों की गतिविधि 90 प्रतिशत।
- ग्रामीण समुदाय के सदस्यों की वार्षिक बजट एवं व्यय के विषय में जानकारी 48.7 प्रतिशत।
- शत्–प्रतिशत ग्राम पंचायतों का आडिट रिपोर्ट संतोषजनक।
- 91 प्रतिशत परिवारों को परियोजना के उद्देश्य, गतिविधियों व रणनीति की जानकारी।
- जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. के निर्माण में 79 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की भागीदारी।
- जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. में भूमि संरक्षण, जल स्रोतों के प्रबन्धन, ईंधन प्रजाति रोपण एवं चारा प्रबन्धन हेतु मात्राकृत 60 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष 65.43 प्रतिशत व्यय।
- 52 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. में लक्षित क्षेत्र के 80 प्रतिशत क्षेत्र उपचारित।

योजनान्तर्गत कुल 488 करोड़ व्यय कर लगभग 1.5 करोड़ रोजगार दिवस सृजित हुए।

2. उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना की जैफ ट्रस्ट फण्ड स्लेम उप योजना का नेशनल कम्पीटिटिव बिड़िंग के माध्यम से ''द ईनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट'' (टेरी), नई दिल्ली संस्था द्वारा आधारभूत और मध्यावधिक प्रभावों एवं परियोजना समाप्ति के समय अन्तिम रुप से प्रभावों के आंकलन हेतु चयन किया गया है। टेरी संस्था के फाईनल एव्यूल्वेशन रिपोर्ट के निम्न प्रमुख बिन्दु उल्लेखनीय हैं–

- चयनित सूक्ष्म जलागमों के उपचार योग्य 21 प्रतिशत् क्षेत्र में स्लेम (SLEM)तकनीक से मृदा नमी संरक्षण, नदी नाला संरक्षण, वनीकरण, औषधीय पौध रोपण, जल स्रोतों का उपचार आदि कार्य किये गये।
- स्लैम उपचार के लिए चिन्हित 36563 है0 आरक्षित वन (जिसमें से 6707 है0 आरक्षित वन सैम्पल ग्रामों में आता है) का साझा नियंत्रण हेतु चिन्हिकरण किया गया।
- नमूना ग्राम पंचायतों के 104 है0 क्षेत्र में भूमि व जल संरक्षण गतिविधियों के स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुये।
- शुष्क मौसम में जल संग्रहण हेतु 1 घंटे से कम समय में पर्याप्त जल उपलब्धता वाले परिवारों का प्रतिशत प्रारम्भ के 68.37 प्रतिशत से बढ़कर 82.34 प्रतिशत हुआ।
- शुष्क मौसम में उन परिवारों, जिन्हें जल संग्रहण हेतु 1 से 2 घंटे का समय देना पड़ा हो का प्रतिशत मात्र 17.04 प्रतिशत था।
- परियोजना क्षेत्र में सिंचित भूमि में 4.1 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की गयी।
- सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में बायोगैस उपयोग करने वाले परिवारों में 5.5 प्रतिशत वृद्धि हुयी।
- 13 प्रतिशत परिवारों (2000परिवार) की जलौनी लकड़ी की निर्भरता घटी।
- 2000 परिवारों में से 20 प्रतिशत (400 परिवार) द्वारा पाईन बिक्रेट का विपणन।
- 456 परिवार जो पाईन बिक्रेट का निर्माण कर रहे हैं, उनमें से 145 परिवारों द्वारा इसे व्यवसायिक रूप में अपनाया गया।
- जीविकोपार्जन गतिविधियों से प्रति परिवार आय में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ईंधन हेतु वनों पर निर्भरता कम हुई। 19 प्रतिशत् परिवार आंशिक रुप से वैकल्पिक उर्जा संसाधन यथा पाईन ब्रिकेट व वायोगैस के उपयोग से जुड़े।
- 31 प्रतिशत् स्वयं सहायता समूहों ने चीड़ पत्ती (पिरुल) से कोयला निर्माण द्वारा आय अर्जित की।
- वानिकी गतिविधियों से बायोमास उत्पादन में वृद्धि हुई।
- पारम्परिक घराटों के सफलता पूर्वक पुर्नजीवन से आय में वृद्धि हुई।
- परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन ग्रामीण समुदायों व संस्थाओं द्वारा किये जाने से उनकी क्षमता का विकास हुआ।

यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. की जैफ ट्रस्ट फण्ड स्लेम उप योजना में कुल व्यय रु0 37.60 करोड़ से लगभग 0.14 करोड़ मानव रोजगार दिवसों का सृजन हुआ।

5.3 विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण–

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग जनपदों के 18 विकास खण्ड़ों के 80 सूक्ष्म जलागमों के 2638 वर्ग कि0मी0 का उपचार किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना प्रस्ताव पर विश्व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विश्व बैंक एप्रैजल मिशन द्वारा जलागम प्रबन्ध के प्रशासनिक अधिकारियों तथा शासन से विचार विमर्श किया गया और तत्पश्चात परियोजना का अप्रैजल डाक्यूमैंन्ट तैयार किया गया। परियोजना अप्रैजल डाक्यूमैंन्ट के अनुसार परियोजना लागत 170 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 1020 करोड़) निर्धारित की गयी। दिनांक 8 जनवरी 2014 को दिल्ली में परियोजना के सम्बन्ध में Negotiation (समझौता वार्ता) सम्पन्न हुआ है। वित्तीय वष 2013–14 में परियोजना के पूर्वगामी वित्त पोषण से परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों को किया जा रहा है, इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जायेगी। परियोजना अनुबन्ध के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 से परियोजना कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

परियोजना के अन्तर्गत लगभग 509 ग्राम पंचायतें आच्छादित होंगी। परियोजना क्षेत्र का निर्धारण मुख्य रुप से परियोजना लागत, जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों, परियोजना में कृषि विपणन समर्थन, कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रदर्शन आदि अतिरिक्त निवेशों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया।

परियोजना क्षेत्र का विवरण (क्षेत्र हैक्टर में)										
जनपद	विकास खण्ड	सूक्ष्म जला. सं0	कुल क्षेत्रफल हैक्टर	वन क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	रिक्त क्षेत्र	ग्राम पंचात		राजस्व ग्राम	
							सं0	क्षेत्र	सं0	क्षेत्र
अल्मोड़ा	धौलादेबी भैंसियाछाना	9	28396	14987	12303	1106	**85**	24341	186	23835
उत्तरकाशी	मोरी, नौगॉव, पुरौला	17	45103	31233	9727	4143	67	10269	119	10013
देहरादून	कालसी, चकरौता	9	29242	8778	8270	12194	49	23013	74	21926
टिहरी	जौनपुर	12	31730	11977	8306	11447	72	18642	151	18553
रुद्रप्रयाग	उखीमठ, जखोली, अगस्तमुनि	6	19201	11609	7449	143	65	8572	119	8430
पिथौरागढ	मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग	9	25739	17206	6350	2383	59	22070	137	20568
बागेश्वर	कपकोट	11	55296	35666	6672	12920	48	33328	82	33964
पौड़ी	पोखरी, एकेश्वर	6	26713	9373	10980	6360	57	10549	185	10451
मौडल सूक्ष्म जलागम	रायपुर	1	2417	1365	789	95	7	2233	13	2233

परियोजना क्षेत्र का विवरण (क्षेत्र हैक्टर में)										
जनपद	विकास खण्ड	सूक्ष्म जला. सं0	कुल क्षेत्रफल हैक्टर	वन क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	रिक्त क्षेत्र	ग्राम पंचात		राजस्व ग्राम	
							सं0	क्षेत्र	सं0	क्षेत्र
योग	18	80	263837	142194	70846	50791	509	153016	1066	149973

परियोजना लागत एवं वित्त पोषण

परियोजना की कुल लागत 170 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 1020 करोड़) है जिसके सापेक्ष 121.2 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 727 करोड़) की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जायेगी तथा 45.8 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 275 करोड़) राज्य सरकार व 3 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 18 करोड़) के समतुल्य धनराशि लाभार्थी अंशदान से प्राप्त होगी।

परियोजना का उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में परियोजना के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र में समुदायों की भागीदारी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और वर्षा आधारित कृषि की उत्पादक क्षमता बढ़ाना।

परियोजना घटकः

क्र. सं.	परियोजना घटक	उप घटक
1	जन जागरुकता एवं सहभागी जलागम नियोजन	जन जागरुकता तथा सामुदायिक निर्णय लेने को प्रोत्साहन
		ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना/ सूक्ष्म जलागम योजना निर्माण
2	जलागम उपचार एवं वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास	जलागम उपचार एवं स्रोतों की चिरन्तरता (जलागम उपचार, एन.आर. एम. प्रदर्शन)
		वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों का विकास (कृषि एवं उद्यान, पशु पालन एवं चारा उद्यान)
3	आजीविका विकास के अवसरों में वृद्धि	कृषि विपणन सपोर्ट
		निर्बल समूहों का संवर्धन एवं आय अर्जक गतिविधियॉ
		ग्राम्या –। गतिविधियों का समेकन
4	ज्ञान प्रबन्धन एवं परियोजना समन्वयन	ज्ञान संवर्धन (ग्राम पंचायत तथा स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं का क्षमता विकास, Center of Excellence for Watershed Management (जलागम प्रबन्धन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र), सूचना शिक्षा एवं संचार एवं मूल्यांकन अनुश्रवण अध्ययन।
		परियोजना समन्वयन

परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताऐं :

- परियोजना में अत्यधिक भूक्षरण व प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास तथा सामाजिक रुप से पिछड़े व अवस्थापना संसाधनों की कमी वाले, मध्य– हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता द्वारा मुख्य रुप से महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजना का निरुपण, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन।
- परियोजना आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग के हितों पर केन्द्रित तथा दीर्घावधिक गतिविधियों पर आधारित है।
- परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों एवं जल स्रोतों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण।
- बरानी खेती की उत्पादकता की वृद्धि पर विशेष ध्यान।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्रस्तावित प्रमुख कार्य

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	2013–14	वार्षिक योजना 2014–15
1	परियोजना के 2 प्रभागों हेतु सहयोगी गैर सरकारी संगठन की तैनाती	संख्या	0	2
2	सहभागी गैर सरकारी संगठन की तैनाती	संख्या	0	2

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	2013–14	वार्षिक योजना 2014–15
3	ग्रामीण मोटिवेटर तैनाती	मानव माह	0	10660
4	ग्राम पंचायत योजना का निर्माण	जी.पी. संख्या	0	105
5	जलागम विकास एवं उपचार	जी.पी. संख्या	0	29
6	उच्च उत्पादकता कृषि फसल प्रदर्शन (0.2है0)	संख्या	0	1004
7	उच्च उत्पादकता सागभाजी फसल प्रदर्शन	संख्या	0	1018
8	औद्यानिक विकास	हैक्टर	0	102
9	पौलीहाउस निर्माण	संख्या	0	509
10	पौलीटनल निर्माण	संख्या	0	2036
11	वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	संख्या	0	1018
12	पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कैम्प	संख्या	0	102
13	पशु आश्रय निर्माण	संख्या	0	255
14	नांद / चरी निर्माण	संख्या	0	510
15	चारा मिनिकिट वितरण	संख्या	0	509
16	खेतों की मेढ़ों में नैपियर रोपण	कि0मी0	0	509
17	कृषि विपणन क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संख्या	0	255
18	कृषि विपणन – क्षेत्र अध्ययन भ्रमण	भ्रमण सं.	0	33
19	कृषि विपणन–उच्च उत्पादकता कृषि / सब्जी–भाजी फसल	कृषक सं0	0	1066
20	आयअर्जक गतिविधि फण्ड– व्यक्तिगत	संख्या	0	206
21	आयअर्जक गतिविधि फण्ड– समूह	संख्या	0	54
22	ग्राम्या–1 गतिविधियों का समेकन	प्रभाग संख्या	0	3
23	ग्राम स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संख्या	500	1066
24	प्रभाग स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संख्या	100	250
25	क्षेत्र अध्ययन भ्रमण	भ्रमण विजिट सं	0	128
26	राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय कार्यशाला	संख्या	3	4
27	निदेशा0 / परियोज0 कार्यालय स्तरीय कार्यशाला	संख्या	12	40
28	प्रभाग स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला सं0	14	102
29	ईकाई स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला सं0	20	150

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	2013–14	वार्षिक योजना 2014–15
30	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला सं0	130	1066
31	सूचना शिक्षा एवं संचार	ल0स0	ल0स0	ल0स0
32	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	ल0स0	0	ल0स0
33	वित्तीय एवं क्रय प्रबन्धन	ल0स0	0	ल0स0
	जलागम प्रबन्ध निदेशालय का सुदृढीकरण	ल0स0	ल0स0	ल0स0

परियोजना की समितियां

राज्य स्तर – स्टेट स्टेयरिंग कमेटी

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें रेखा विभागों के सचिव अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य हैं।

जिला स्तर –जिला जलागम समिति

अध्यक्ष जिला पंचायत, की अध्यक्षता में गठित समिति में रेखा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त माननीय विधायक, क्षेत्र प्रमुख सदस्य हैं।

ग्राम पंचायत स्तर –जल व जलागम प्रबन्ध समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में।

5.4 वित्तीय संसाधन के स्रोतः

लेखा शीर्षक–	अनुदान सं0 17 लेखाशीर्षक– 2401, फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत, 800 अन्य योजनाये, 97–वाह्य सहायतित योजनायें, 02– यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0	
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013–14 अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत व्यय / बजट प्राविधान	राजस्व– रू0 2288.77 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 2288.77 लाख**	राजस्व– रू0 4800.37 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 4800.37 लाख**

5.5 मानक मदवार अनुमानित व्यय 2013–14 एवं आय–व्ययक अनुमान 2014–15

(हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014 –15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
	बजट प्राविधान	वर्ष में अनुमानित व्यय	
राजस्व मद			
01– वेतन	72199	74398	74000
02– मजदूरी	5570	3574	3500
03– महंगाई भत्ता	57187	62111	81400
04– यात्रा भत्ता	5750	3200	3200
05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	150	200	300
06– अन्य भत्ता	10077	11000	8140
07– मानदेय	545	273	300
08– कार्यालय व्यय	2500	1600	1600
09– विद्युत	2500	1258	1400
10– जल कर	100	25	25
11– लेखन सामग्री	1500	1000	1000
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400	200	400
13– टेलीफोन पर व्यय	800	800	800
14– गाडियों का क्रय	1	0	1
15– वाहनो का रखरखाव	6000	4017	6100
16– व्यवसायिक सेवायें	37	10	10
17– किराया	2550	2548	2500
18– प्रकाशन	25	13	10
19– विज्ञापन	400	200	350
20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	28000	2160	28000
24– वृहद निर्माण कार्य	0	0	0
25– लघु निर्माण कार्य	2750	0	2500
26– मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र	100	50	100
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2800	1768	1700

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014 –15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
	बजट प्राविधान	वर्ष में अनुमानित व्यय	
राजस्व मद			
28– वाहनों का रखरखाव	0	0	0
29– अनुरक्षण	1500	1500	3000
42– अन्य व्यय	212000	56522	259000
44– प्रशिक्षण	1	0	1
45– एल0टी0सी0	150	75	200
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/सौफ्टवैयर का क्रय	100	75	100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	400	300	400
योग राजस्व	416092	228877	480037
कुल योग	416092	228877	480037

5.6 परियोजना प्रबन्धन व परियोजना पदों का विवरणः

परियोजना मुख्यालयः जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

क्षेत्रीय कार्यालय(2): परियोजना निदेशक कार्यालय गढवाल–मुनिकीरेती।

परियोजना निदेशक कार्यालय कुमायूँ– हल्द्वानी।

परियोजना प्रभाग(6): विकासनगर, थत्यूड़, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ एवं बागेश्वर

परियोजना प्रभाग : पी0एन0जी0ओ0 (2) उत्तकाशी एवं रूद्रप्रयाग।

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–II में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदः

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	परियोजना निदेशक, प्रशासन	37400–67000	8900	1	1	0	
2	परियोजना निदेशक	37400–67000	8900	2	2	0	
3	संयुक्त निदेशक (कृषि/उद्यान/पशुपालन)	15600–39100	7600	3	2	1	
4	उप निदे0 (प्रशा0/प्रशिक्षण)	15600–39100	6600	1	1	0	

क0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5	उप निदेशक परियोजना (प्रर्यावरण विशेषज्ञ)/परि0 प्रबन्धन ईकाई	15600–39100	6600	2	1	1	
6	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100	6600	1	1	0	
7	उप परियोजना निदेशक	15600–39100	6600	6	5	1	
8	सहायक निदेशक(GIS/MIS /अर्थ0)/परियोजना अर्थशास्त्री	15600–39100	5400	1	0	1	
9	सहायक निदेशक (क्षमता विकास/ प्रालेखन/सहायक निदेशक(डाक्यूमेंटेशन)	15600–39100	5400	1	1	0	
10	सहायक निदेशक (प्रशि0)	15600–39100	5400	1	0	1	
11	सहायक निदेशक (मू0 एवं अनु0)	15600–39100	5400	1	0	1	
12	सहायक निदेशक (सिविल इंजी0)	15600–39100	5400	3	1	2	
13	सहायक निदे0(परियोजना)/ सहायक वन संरक्षक	15600–39100	5400	6	3	3	
14	कृषि / उद्यान अधिकारी	15600–39100	5400	6	0	6	
15	पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	5400	6	0	6	
16	वित्त अधिकारी	15600–39100	5400	3	0	3	
17	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	9300–34800	4800	1	0	1	
18	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	1	1	0	
19	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800	4600	11	4	7	
20	वन क्षेत्राधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/यूनिट अधिकारी (विभागीय वेतनमान के अनुसार)	9300–34800	4600	22	15	7	
21	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	9	9	0	
22	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	3	2	1	
23	लेखाकार	9300–34800	4200	4	0	4	

क0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
24	सहायक लेखाकार	5200–20200	2800	4	0	4	
25	मुख्य सहायक	9300–34800	4200	9	9	0	
26	उप वन राजिक	9300–34800	4200	6	3	3	
27	अवर अभियन्ता (सिविल)	9300–34800	4200	4	1	3	
28	अवर अभियन्ता (कृषि)/प्रा0स0 भू0सं0	9300–34800	4200	6	1	5	
29	सर्वेयर	5200–20200	2800	5	4	1	
30	प्रवर सहायक	5200–20200	2800	15	15	0	
31	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2400	3	2	1	
32	मानचित्रकार	9300–34800	4200	8	4	4	
33	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	21	27	.6	
34	स0वि0अधि0 (कृषि/उद्यान)	5200–20200	2800	21	3	18	
35	वन विद	5200–20200	2400	22	9	13	
36	पशुधन प्रसार अधिकारी	5200–20200	2800	20	4	16	
37	सहायक कृषि निरीक्षक	5200–20200	2000	20	12	8	
38	सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक	5200–20200	2000	20	5	15	
39	वन रक्षक	5200–20200	1800	20	15	5	
40	जी0आई0एस0 तकनीशियन/ कम्प्यूटर प्रोग्रामर – संविदा पर	9300–34800	4200	0	0	0	
41	वाहन चालक ग्रेड –1	9300–34800	4200	2	2	0	
42	वाहन चालक ग्रेड –2	5200–20200	2800	9	9	0	
43	वाहन चालक ग्रेड –3	5200–20200	2400	9	8	1	
44	वाहन चालक ग्रेड –4	5200–20200	1900	6	0	6	
45	मशीन आपरेटर/फोटो स्टेट मशीन	5200–20200	1800	1	1	0	

क0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	औपरेटर						
46	वर्क सुपरवाईजर	5200–20200	1900	1	1	0	
47	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	1900	1	1	0	
48	चपरासी/चौकीदार/अर्दली/माली	5200–20200	1800	59	62	.3	
49	प्लम्बर	5200–20200	1800	1	1	0	
50	ट्रेसर	5200–20200	1800	4	1	3	
51	स्वच्छक	5200–20200	1800	2	2	0	
	योग			394	251	143	

नोट : स्वीकृत कनिष्ट लिपिकों के पदों के सापेक्ष 6 कनिष्ट लिपिक अधिक तैनात हैं जिनकी तैनाती सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों के सापेक्ष की गई है।

6 समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

उत्तराखण्ड के 10 जनपदों के 30 विकासखण्डों में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए विकास कार्यो हेतु वित्त पोषण के लिए 01 फरवरी 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य अनुबन्ध किया गया है। परियोजना का मद–2 सहभागीय जलागम विकास के अन्तर्गत जनपद पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत के 22 सूक्ष्म जलागमों के 702 वर्ग किमी0 का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से किया जाना है। मद–2 के अन्तर्गत लगभग 215 ग्राम पंचायतें आच्छादित होंगी 19994 परिवारों की 99443 जनसंख्या लाभान्वित होगी। परियोजना क्षेत्र का निर्धारण मुख्य रूप से परियोजना लागत जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों, परियोजना में कृषि विपणन समर्थन, कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रर्दशन आदि अतिरिक्त निवेशों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया।

6.1 परियोजना क्षेत्रः

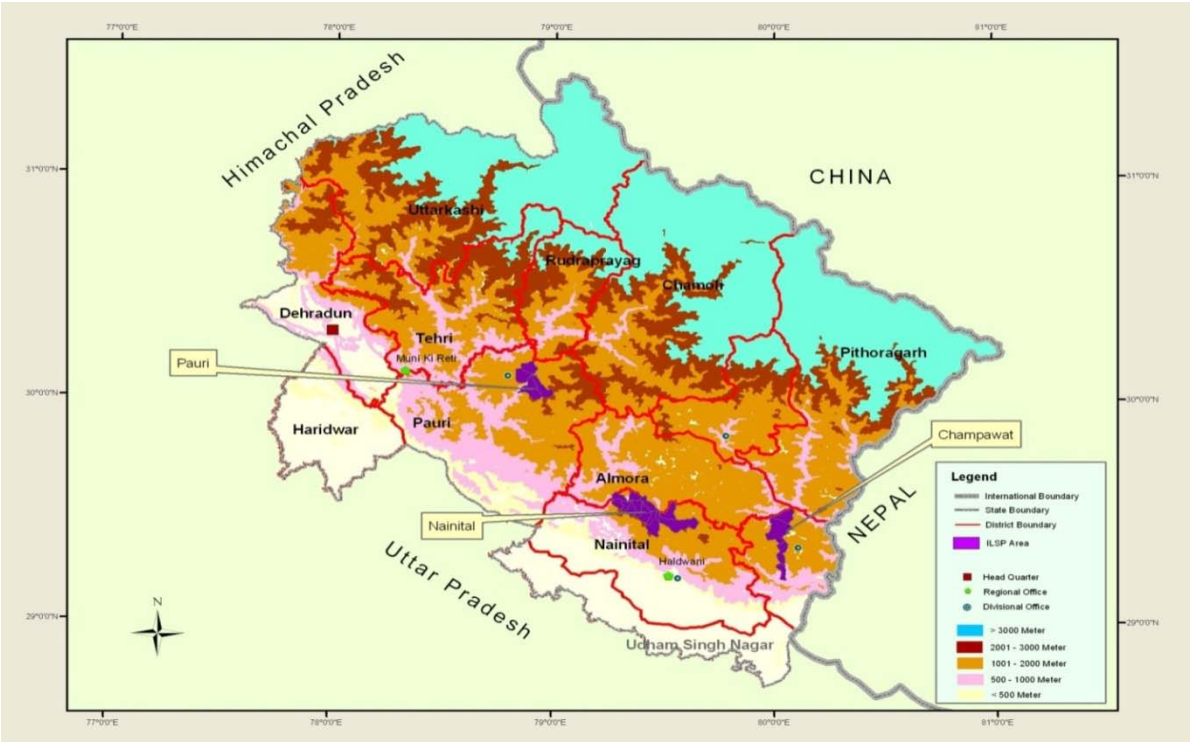

परियोजना क्षेत्र का विवरण (क्षेत्र हैक्टर में)							
जनपद	विकास खण्ड	सूक्ष्म जलागम सं0	कुल क्षेत्रफल हैक्टर	ग्राम पंचायत सं0	राजस्व ग्राम सं0	परिवार	जनसंख्या
पौड़ी	पाबौ, एकेश्वर	5	16470	54	123	5188	23105
चम्पावत	पाटी, चम्पावत, बडाकोट	4	21011	59	104	4546	22735
नैनीताल	बेतालघाट, रामगढ़	13	32713	102	135	10260	53603
योग	**7**	**22**	**70194**	**215**	**362**	**19994**	**99443**

6.2 परियोजना का उद्देश्य

सहभागी जलागम विकास कार्यप्रणाली से प्राकृतिक संसाधनों व बरानी खेती का संरक्षण, विकास एवं उचित प्रबन्धन के साथ ही ग्रामीणों की आय में वृद्धि एवं संस्थाओं के विकास एवं संसाधनों का सतत् उपयोग एवं स्थायित्व देना।

6.3 परियोजना घटक

क्र.स.	परियोजना घटक	उप घटक
1.	सहभागी जलागम प्रबन्ध	1–जन जागरूकता एवं सहभागी नियोजन। 2–ग्राम एवं जलागम विकास।
2.	खाद्य सुरक्षा वृद्धि में सहयोग	1–बारानी कृषि एवं कृषि विपणन तन्त्र का विकास। 2–मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन सहयोग।
3.	आजीविका वृद्धि में सहयोग	1–निर्बल वर्ग के लिये आय–अर्जक गतिविधियॉ 2–आजीविका समूहों को आय–अर्जक गतिविधियों के लिये सहयोग।
4.	संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	1–जलागम समितियों की क्षमता विकास। 2–सामुदायिक समूहों का क्षमता विकास। 3–सूचना शिक्षा एवं संचार।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ :

- ❖ परियोजना में अत्यधिक भूक्षरण व प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े व अवस्थापना संसाधनों की कमी वाले, मध्य– हिमालयी क्षेत्र शामिल है।
- ❖ ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजना का निरूपण, कियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

- ❖ परियोजना आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों पर केन्द्रित तथा दीर्घावधिक गतिविधियों पर आधारित है।
- ❖ परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों एवं जल स्रोतों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण।
- ❖ बरानी खेती की उत्पादकता की वृद्धि पर विशेष ध्यान।

6.4 परियोजना लागत

परियोजना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा 90 मिलियन अमेरिकन डालर ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसका 30 प्रतिशत अंश मद संख्या–2 सहभागी जलागम विकास के लिये उपलब्ध होगा। परियोजना के स्टाफ के वेतन आदि का व्यय लगभग रू0 57 करोड़ उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना लागत का 9.2 प्रतिशत अंश लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय हेतु कुल रू0 244.06 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्मिकों के वेतन भत्ते का प्राविधान जलागम प्रबन्ध निदेशालय के विभागीय बजट से किया जायेगा।

योजना कार्यों की उक्त धनराशि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के माध्यम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी जो इस धनराशि से जलागम विकास के कार्यों का कार्यान्वयन करेगी। कार्यों की प्रगति तथा अपेक्षित व्यय धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना के स्टाफ पर होने वाले व्यय का प्राविधान जलागम प्रबन्ध की इस योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

6.5 वित्तीय संसाधनों के स्रोत

लेखा शीर्षक–	**अनुदान सं0 17** **लेखाशीर्षक – 2401, फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत, 800 अन्य योजनायें, 97– वाह्य सहायतित योजना, 03– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना**	
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत व्यय/बजट प्राविधान	राजस्व– रू0 119.96 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 119.96 लाख**	राजस्व– रू0 544.71 लाख पूंजीगत– रू0 00.00 लाख **कुल– रू0 544.71 लाख**

6.6 मानक मदवार प्राविधान एवं अनुमानित व्यय 2013–14 तथा आय–व्ययक अनुमान 2014–15

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013 – 2014		वित्तीय वर्ष 2014 –15 हेतु आय–व्ययक अनुमान
	पुनर्विनियोग के पश्चात् कुल बजट प्राविधान	अनुमानित व्यय	
राजस्व मद			
01– वेतन	5724	5723	24500
02– मजदूरी	1	0	1
03– महंगाई भत्ता	5151	5150	26950
04– यात्रा भत्ता	1	0	1
05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1	200	300
06– अन्य भत्ता	924	923	2695
07– मानदेय	1	0	1
08– कार्यालय व्यय	1	0	1
09– विद्युत	1	0	1
10– जल कर	1	0	1
11– लेखन सामग्री	1	0	1
12– कार्यालय साज सज्जा	1	0	1
13– टेलीफोन	1	0	1
14– गाडियों का क्रय	0	0	0
15– वाहनो का रखरखाव	1	0	1
16– व्यवसायिक सेवायें	1	0	1
17– किराया	1	0	1
18– प्रकाशन	1	0	1
19– विज्ञापन	1	0	1
20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1	0	1
24– वृहद निर्माण कार्य	1	0	1
25– लघु निर्माण कार्य	1	0	1
26– मशीनरी / उपकरण	1	0	1
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1	0	1
28– वाहनों का रखरखाव	1	0	1
29– अनुरक्षण	1	0	1
42– अन्य व्यय	1	0	1
44– प्रशिक्षण	1	0	1
45– एल0टी0सी0	1	0	1
46– कम्प्यूटर / हार्डवेयर क्रय	1	0	1
47– कम्प्यूटर रख0 एवं स्टेशनरी	1	0	1
योग राजस्व	**11826**	**11996**	**54471**
कुल योग	**11826**	**11996**	**54471**

6.7 परियोजना प्रबन्धन व परियोजना पदों का विवरणः

परियोजना मुख्यालय : जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में कार्यरत।

क्षेत्रीय कार्यालय (2) : परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, कार्यालय गढवाल–मुनिकीरेती।
परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, कार्यालय कुमायूँ– हल्द्वानी।

परियोजना प्रभाग (3) : पौड़ी, हल्द्वानी एवं चम्पावत।

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदः

क0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत् कार्मिक	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1	उप निदेशक (परियोजना) /उप परियोजना निदेशक	15600–39100	6600	4	2	2
2	सहा0 वन संरक्षक	15600–39100	5400	2	1	1
3	कृषि / उद्यान अधिकारी	15600–39100	5400	4	0	4
4	पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	5400	2	0	2
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300– 34800	4600	3	0	3
6	वन क्षेत्राधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/यूनिट अधिकारी (विभागीय वेतनमान के अनुसार)	9300–34800	4600	12	7	5
7	उप वन राजिक	9300– 34800	4200	3	1	2
8	अवर अभियन्ता (सिविल)	9300– 34800	4200	4	1	3
9	अवर अभियन्ता (कृषि)/प्रा0स0 भू0सं0	9300– 34800	4200	2	0	2
10	सर्वेयर	5200– 20200	2800	3	1	2
11	स0वि0अधि0 (कृषि/उद्यान)	5200– 20200	2800	12	4	8
12	वन विद	5200– 20200	2400	12	5	7
13	पशुधन प्रसार अधिकारी	5200– 20200	2800	12	4	8
14	सहायक कृषि निरीक्षक	5200– 20200	2000	12	6	6
15	सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक	5200– 20200	2000	12	9	3

क0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की सं0	कार्यरत् कार्मिक	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
16	वन रक्षक	5200– 20200	1800	11	**5**	6
17	प्रशासनिक अधिकारी	9300– 34800	4600	3	3	0
18	सहायक लेखाकार	5200– 20200	2800	4	0	4
19	मुख्य सहायक	5200– 20200	2800	2	2	0
20	प्रवर सहायक	5200– 20200	2800	4	4	0
21	कनिष्ठ सहायक	5200– 20200	2000	4	4	0
22	मानचित्रकार	9300– 34800	4200	2	1	1
23	वाहन चालक ग्रेड–4	5200– 20200	1900	4	0	4
24	चपरासी / चौकीदार / अर्दली / माली	5200– 20200	1800	20	20	0
25	स्वच्छक / सफाई कर्मचारी	5200– 20200	1800	2	0	2
	कुल योग			**155**	**80**	**75**

7 वार्षिक योजना 2014-15

वार्षिक योजना 2013–14 में रू0 70.30 करोड़ परिव्यय के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2013 तक कुल रु0 15.26 करोड़ व्यय किया गया तथा वर्ष में कुल रु0 30.81 करोड़ व्यय अनुमानित है। विभागीय वार्षिक योजना 2014–15 में कुल रु0 146.28 करोड़ के परिव्यय के सापेक्ष 119.4289 करोड़ आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है। परियोजनावार विवरण निम्नवत है:–

अ–चालू परियोजनाः

1. राज्य सैक्टर

❖ **जलागम प्रबन्ध निदेशालय की स्थापनाः** विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जलागम आधार पर कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की संरचना, वित्त पोषण, क्लीयरैन्स एवं अनुश्रवण हेतु नोडल एजैन्सी के रुप में जलागम प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना की गयी है। वर्ष 2013–14 में अनुमोदित परिव्यय रु0 59 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2013 तक रु0 33.41 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष में रू0 43 लाख व्यय अनुमानित है। वार्षिक योजना 2014–15 हेतु रु0 74 लाख परिव्यय के सापेक्ष 69.80 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

❖ **जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद :** उत्तराखण्ड राज्य में जलागम प्रबन्ध की समस्त योजनाओं जिनका संचालन विभिन्न विभागों/ एजेंसियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, का यथेष्ट लाभ जन सामान्य तक पहुॅचाने के उद्देश्य हेतु जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद का गठन किया गया है। वर्ष 2013–14 में अनुमोदित परिव्यय रु0 20 लाख के सापेक्ष वर्ष में रु0 5 लाख व्यय अनुमानित है। वार्षिक योजना 2014–15 हेतु रु0 11 लाख परिव्यय के सापेक्ष 8.01 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

2. केन्द्र पोषित् योजनायें

❖ समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम

केन्द्र सरकार की समान मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अनुसार केन्द्र पोषित् समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम का कार्यान्वयन कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 15.51 करोड़ परिव्यय (राज्यांश) प्रस्तावित था, जिसके अतिरिक्त योजना हेतु रु0 139.59 करोड़ केन्द्रांश के रुप में भारत सरकार से प्राप्त होना था। केन्द्र सरकार से धनराशि रु0 56.16 करोड़ अवमुक्त होने पर इसके सापेक्ष रु0 6.24 करोड़ राज्यांश के रुप में प्राविधानित किया गया है।

वार्षिक योजना 2014–15 में कुल रु0 90.80 करोड़ परिव्यय प्रस्तावित है जिसकी 90% धनराशि (रू0 81.72 करोड़) केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होगी तथा 10% (रू0 9.08 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष रू0 65.20 करोड़ आय–व्ययक का प्राविधान किया जा रहा है।

3. वाह्य सहायतित् परियोजना

❖ **विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–** उत्तराखण्ड के समस्त 11 पर्वतीय जनपदों के 18 विकासखण्डों के 76 सूक्ष्म जलागमों के 2348 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपचार किये जाने हेतु योजना सितम्बर 2004 से प्रारम्भ की गयी तथा यह परियोजना मार्च 2012 में पूर्ण हो गई। योजना अवधि में कुल रु0 488 करोड़ ब्यय किया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 से Global Environment Facility (GEF) Trust Fund की रु0 37.60 करोड़ लागत की SLEM उप योजना की स्वीकृत की गई है, जो अगस्त 2013 में पूर्ण हो गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन से उत्पादकता वृद्धि एवं ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था।

योजना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 3.51 करोड़ व्यय किया गया। किये गये व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुदान के रुप में प्राप्त हुई।

❖ **इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमैंन्ट (IFAD) वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)–** उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत, नैनीताल, पौड़ी गढवाल जनपदों के 22 सूक्ष्म जलागमों के 215 ग्राम पंचायतों में योजना के जलागम विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। रु0 244 करोड़ लागत की 7 वर्षीय इस योजना में 702 वर्ग कि0 क्षेत्र के लगभग 20000 परिवार लाभान्वित होंगे। यह धनराशि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समेकित

आजीविका सहयोग परियोजना के माध्यम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी जो इस धनराशि से जलागम विकास के कार्यों का कार्यान्वयन करेगी। कार्यों की प्रगति तथा अपेक्षित व्यय धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना के स्टाफ पर होने वाले ब्यय का प्राविधान जलागम प्रबन्ध की इस योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में परियोजना स्टाफ होने वाले व्यय हेतु योजना परिव्यय रु0 10.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 1.20 करोड़ व्यय सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना मे स्टाफ पर होने वाले व्यय हेतु रु0 5.53 करोड़ परिव्यय के सापेक्ष रू0 5.4471 करोड़ आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

ब–नई परियोजनाः

वाह्य सहायतित् परियोजना

❖ **विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण–** उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग जनपदों के 18 विकास खण्ड़ों के 80 सूक्ष्म जलागमों के 2638 वर्ग कि0मी0 का उपचार किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना प्रस्ताव पर विश्व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने पर परियोजना के प्रारम्भिक कार्यो के सम्पादन हेतु किये जाने वाले व्यय का अनुमोदन विश्व बैंक द्वारा किया गया। परियोजना से सम्बन्धित समझौता (Negotiation) 8 जनवरी 2014 को सम्पन्न हो गया है। जिसमें परियोजना के एप्रैजल डौक्यूमैन्ट के अनुरुप लागत 170 मिलियन अमेरिकन डालर (रु0 1020 करोड़) निर्धारित की गई, जिसमें विश्व बैंक का अंश रु0 121.2 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 727 करोड़), राज्य सरकार का अंश 45.8 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 275 करोड़) तथा लाभार्थी अंशदान 3 मिलियन अमेरिकन डालर (लगभग रु0 18 करोड़) है। योजना गतिविधियों का विधिवत कार्यान्वयन परियोजना अनुबन्ध के उपरान्त अप्रैल 2014 से प्रारम्भ सम्भावित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना के परिव्यय रु0 20 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर तक रु0 11.42 करोड़ ब्यय किया गया वर्ष में रु0 1937.83 करोड़ व्यय अनुमानित है। योजना का वास्तविक कार्यान्वयन 2014–15 से सम्भावित है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रु0 49.10 करोड़ परिव्यय के सापेक्ष 48.0037 करोड़ आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

परियोजनावार प्रस्तावित वार्षिक योजना 2014–15 का सारांश (धनराशि लाख रुपये में)

योजनायें / परियोजना	प्रस्तावित कुल परिव्यय	आय–व्ययक प्राविधान
चालू योजनाः		
जलागम निदेशालय की स्थापना (राज्य सेक्टर) **(लेखाशीर्षक– 17–2401–00–800–05–00)**	74.00	69.80
जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद (राज्य सेक्टर) **(लेखाशीर्षक–17–2401–00–800–11)**	11.00	8.01
समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (केन्द्र पोषित योजना) (राज्यांश 10% एवं केन्द्रांश 90%) **(लेखाशीर्षक– 17–2401–00–800–01–0105)**	9080.00	6520.00
इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट (IFAD) वित्त पोषित आजीविका विकास परियोजना द्वितीय चरण **(लेखाशीर्षक– 17–2401–00–800–97–03)**	553.00	544.71
नई प्रस्तावित योजनाः		
विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–द्वितीय चरण **(लेखाशीर्षक– 17–2401–00–800–97–02)**	4910.00	4800.37
योग	**14628.00**	**11942.89**

750 ग्राम
10 रु0
भटवाड़ी

8

गठित समितियाँ

1. उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 (ग्राम्या–2) के संचालन के लिए प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में **'स्टेट स्टीयरिंग कमेटी'** का गठन।

(शासनादेश संख्या 148/कृषि एवं जलागम/19 अगस्त 2013)।

2. जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में तकनीकी सहयोग एवं नये अनुसंधानों से प्राप्त नवीनतम तथ्यों की उपलब्धता हेतु प्रमुरव सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय **'जलागम तकनीक हस्तान्तरण एवं अनुसंधान समिति'** का गठन।

(शासनादेश संख्या 87/जलागम/2001 दिनांक 15 सितम्बर 2001)।

3. जलागम प्रबंध परियोजनाओं में समन्वय, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए सचिव, जलागम एवं कृषि/मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक **अन्तर्विभागीय 'टास्क फोर्स'** का गठन किया गया है। इस 'टास्क फोर्स' के कार्यो में गति प्रदान एवं उससे मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में एक **'राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति'** का गठन।

(शासनादेश संख्या 45/एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम दिनांक 17.03.2001)।

4. जनपद स्तर पर रेखा विभागों की विभिन्न योजनाओं से समन्वय स्थापित करने, तकनीकी सहयोग तथा स्थानीय जनसहयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में **'जिला वाटरशैड समिति'** का गठन।

(शासनादेश संख्या 273/कृ0ज0/दिनांक 19 अगस्त 2013)

5. ग्राम स्तर पर जलागम प्रबन्ध में समुदाय की भागीदारी की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति का गठन।

(शासनादेश संख्या 970-II/XII/86(53)2005/दिनांक 05–12–2005 एवं शासनादेश संख्या 4077/33–2–99–49/48 जी0/99/दिनांक 29–07–99)

6. केन्द्र सरकार के समान मार्गनिर्देशों के अनुरूप सभी जलागम परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी **(SLNA)** नामित किये जाने पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन।

(शासनादेश संख्या 1217/XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19–12–2008)

7. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की गवर्निंग बॉडी एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला वाटरशैड विकास इकाई **(DWDU)** का गठन।

(शासनादेश संख्या 1216/XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19–12–2008)

8. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया।

(शासनादेश संख्या 32/XIII-II/26(5)/2008 दिनांक 25–03–2009)